رسالہ ہژدہ آیات

रिसाला हज़्दह आयात

(महेदी अले० और उनकी क़ौम के संबधं
में क़ुरआन की अठारह आयतें)

लेखक

हज़रत बन्दगी मियाँ **अब्दुल ग़फ़ूर सजावंदी** रहे०

अनुवादक

शेख़ चाँद साजिद
एम. ऐ, एम. फ़िल (उस्मानिया)

इदारतुल इल्म महेदवियह इस्लामिक लाइबररी
अंजुमने महेदवियह बिलडिंग, चंचलगुडा,
हैदराबाद - 500 024.

प्रकाशन - ४

इदारतुल इल्म महेदवियह इस्लामिक लाइबररी

पुस्तक का नाम	: **रिसाला हज़्दह आयात**
लेखक	: बन्दगी मियाँ अब्दुल ग़फ़ूर सुजावंदी रहे०
अनुवादक	: शेख़ चाँद साजिद
पहला संसकरण	: 1429 हिज्री / 2008
Type Setting	: **Rheel Graphics, Hyderabad.** **Tel. : 040 - 27661061, Cell : 09963977657**
मूल्य	:
प्रकाशक	: इदारतुल इल्म महेदवियह इस्लामिक लाइबररी मर्कज़ी अंजमने महेदवियह बिल्डिंग चंचलगुडा, हैदराबाद - 500 024 A.P.

प्रस्तावना

तमाम प्रशंसा अल्लाह के लिये है जिसने हमारी हिदायत के लिये अपने रसूल मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला० और ख़लीफ़तुल्लाह हज़रत सैयद मुहम्मद महेदी मौऊद अले० को भेजा और हमें उन दोनों की तस्दीक़ की नेमत दी।

यह पुस्तक रिसाला हज़्दह आयात बन्दगी मियाँ अब्दुल ग़फ़ूर सजावंदी रहे० की रचना है, और इस में क़ुरआन की उन अठारह आयात की तश्रीह (स्पष्टी करण) है जिन में हज़रत महेदी मौऊद अले० और उनकी क़ौम की विशेषताऐं बयान की गई हैं। जो लोग यह कहते हैं कि क़ुरआन में महेदी का ज़िकर नहीं है इसलिये महेदी की तस्दीक़ ज़रूरियाते दीन से नहीं है उन्हें याद रखना चाहिये कि क़ुरआन में हर जीज़ का बयान विस्तार पूरवक नहीं मिलता, मसलन, नमाज़, जकात, हज्ज, उम्रा वग़ैरह के अहकाम की तफ़सील क़ुरआन में नहीं मिलती बल्कि अहादीसे नबवी और उसवय नबी सल्ला० के माध्यम से ही इन अहकाम की तफ़सील मिलती है। अल्लाह तआला फ़र्माता है कि रसूल मुसलमानों को किताब और हिकमत की शिक्षा देते हैं। जो लोग यह समझते हैं कि केवल अरबी भाषा पढ़लेने से व क़ुरआन की हर आयत और हर शब्द का अर्थ ग्रहण कर सकते हैं वे ग़लत फ़हमी का शिकार हैं। जिस तरह क़ुरआन से पहले की पवित्र पुस्तकों में मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० के आने का ज़िकर सांकेतिक रूप में किया गया है उसी तरह क़ुरआन मे महेदी का ज़िकर सांकेतिक रूप में किया गाया है और उसका स्पष्टी करण रसूलुल्लाह सल्ला० ने अहादीस के द्वारा किया है। याद रहे कि रसूलुल्लाह सल्ला० जो कुछ कहते थे अपनी इच्छानुसार नहीं कहते थे बल्कि अल्लाह के आदेशानुसार कहते थे। इसी तरह महेदी अले० भी जो कुछ कहथे अल्लाह के आदेशानुसार ही कहते।

हज़रत महेदी मौऊद अले० ने क़ुरआने मजीद की जिन आयात को अपने से और अपनी क़ौम से संबंधित होने का बयान फ़र्माया है उन में से उठारह आयात को मियाँ अब्दुल ग़फ़ूर सजावंदी रहे० ने इस पुस्तक में जमा किया है और अरबी भाषा में उनका स्पष्टी करण किया है, और इस पुस्तक को उर्दू भाषा में अनुवाद के साथ दारुल इशअत कुतुब सल्फ़ुस सालिहीन ने प्रकाशित किया है। अब इसका हिन्दी अनुवाद जनाब शेख चाँद साजिंद ने किया है जो इस इदारे की जानिब से प्रकाशित किया जा रहा है। जनाब सैयद ख़ुरशीद साहब पालनपूरी मुक़ीम दुबइ ने अपने स्वर्गिय पूर्वजों के ईसाले सवाब के लिये इसकी छपाई का ख़र्च उठाया है जिसके लिये हम उनके आभारी हैं।

अल्लाह तआला से दुआ है कि सत्यता की खोज करने वालों के लिये इसको मार्ग दर्शक बना और अनुवादक और छपाई में सहयोग देने वालों को पुणय आताफ़र्मा। *आमीन*

रबीउल अव्वल १४२९ हिज्री
मार्च २००८

फ़क़ीर सैयद हुसेन मीराँ
प्रबंधक,इदारतुल इल्म महेदवियह इस्लामिक लाइब्ररी

विषय सूची

१	प्रस्तावना	3
२	भूमिका	5
३	पहली आयत - ‘व मिन ज़ुर्रीयती	6
४	दूसरी आयत - फ़इन हाज्जूक	9
५	तीसरी आयत - लिऊलिल अल्बाब	11
६	चौथी आयत - फ़सौफ़ यातीयल्लाहु बिक़ौमिन्	16
७	पांचवी आयत - ऊहिय इलय्या हाज़ल क़ुरआन	18
८	छटी आयत - फ़इन् यकफ़ुरु बिहा हाऊलाई	20
९	सातवीं आयत - याअय्युहन् नबी हस्बुका	22
१०	आठवीं आयत - सुम्म फ़ुस्सितत मिनलदुन्न	24
११	नवीं आयत - अफ़मन् काना अला बय्यिनह	25
१२	दस्वीं आयत - क़ुल हाज़िही सबीली	29
१३	ग्यारहवीं आयत - सुम्म औरसनल किताबा	31
१४	बारहवीं आयत - वइन ततवल्लो	33
१५	तेरहवीं आयत - ख़लक़ल इन्सान व अल्लमहुल बयान	35
१६	चौधवीं आयत - व क़लीलुम - मिनल अख़िरीन	36
१७	पन्द्रहवीं आयत - सुल्लतुम - मिनल आखिरीन	36
१८	सोलहवीं आयत - व आख़रीन मिनहुम लम्मा यलहक़ु बिहिम	37
१९	सत्रहवी आयत - सुम्म इन्ना अलैना बयानहु	40
२०	अठारहवीं आयत - वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीन ऊतुल किताब	43

भूमिका

तमाम तारीफ़ (प्रशंसा) अल्लाह के लिये है जिसने नबूवत की तस्दीक़ पर ईमान बख़्शा और विलायत की फ़र्मांबरदारी (आज्ञा पालन) पर नूरे हिदायत अता फ़र्माया और उन दोनों का एक विषेश भाग्य बनाया यानि एक इन्साने कामिल (संपूर्ण मनुष्य) और वह हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं जैसा कि नबी सल्लम ने फ़र्माया कि विलायत अफ़ज़ल (सर्वेच्च) है नबूवत से। इस हदीस से आँहज़्रत सल्ला० के दो मक़ाम ज़ाहिर हुवे यानि मज़्हरे नबूवत और मज़्हरे विलायत। नबूवत की पुष्टि के लिये हमारे नबी सल्लम के कंधे पर मुहरे नबूवत का निशान दिया गया और नबूवत अपने ज़्माने में ख़तम की गई। इसी तरह विलायत की पुष्टि के लिये महदी मौऊद अले० के कंधे पर मुहरे विलायत का निशान दिया गया और विलायत अपने ज़माने में ख़तम की गई। यह दोनों (मुहम्मद और महदी अले०) असल में एक हैं। अच्छी तरह समझ लो कि यह बात ज़ाहिर है और दरूद नाज़िल करे अल्लाह अपने ख़ैरे ख़ल्क़ हर दो मुहम्मद और उन दोनों की तमाम संतान और अस्हाब पर।

हमद व सलात के बाद दरगाहे समदियत का फ़क़ीर अब्दुल ग़फ़ूर सजावंदी कहता है कि अल्लाह मग़्फ़िरत करे उस की और उसके माता पिता की और उन दोनों की औलाद की। मैं ने इरादा किया कि तौज़ीह (स्पष्ट) करूं साहिबुज़ ज़मॉ ख़लीफ़तुर रहमान महदी मौऊद अलैहिर - रिज़वान के नुक़ूल (वचन) की यानि ऐसे मश्हूर नुक़ूल जो क़ुरआन से संबंधित हैं और वह अठारह आयतें हैं जिन में बाज़ महदी मोऊद अले० की ज़ात के लिये विशिष्ट हैं और बाज़ आप की क़ौम (सहाबा) के लिये विशिष्ट हैं।

अल्लाह से मदद चाहते हुवे के वह मुझे सुरक्षित रखे शैतान के भ्रम से जो भ्रम डालता है लोगौं के सीनौं में और वह ख़न्नास जिन्नात में से भी है और इन्सानौं में से भी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वह मुझे विलायत के पंघट से वह मज़ा चखाए जो उन लोगौं को देता है जो हिदायत की पैरवी करते हैं और यही लोग अति श्रेष्ठ इन्सान हैं।

पहली आयत

واذابتلی ابراھیم ربّه بکلمات فاتمهنّ ط قال انّی
جاعلک للنّاس اِماماً ط قال ومن ذرّیتی (البقرة ١٢٤)

और जब इब्राहीम की उसके रब ने कुछ बातों में परीक्षा ली तो उसने उन्हें पूरा कर दिखाया,उसने कहाः ''मैं तुझे सब लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। उसने निवेदन कियाः और मेरी सन्तान में से''।

(अल - बक़रह - १२४)

इज़रत महेदी मौऊद अले० से रिवायत की गई है कि आपने फ़रमाया अल्लाह तआला ने मुझे आदेश दिया कि वह मुस्लिम इमाम जिसके अपने वंश में से होने के लिये इब्राहीम अले० ने दुआ की थी वह केवल तेरी ज़ात है कोई दूसरा नहीं। मैं कहता हूँ कि सत्य वही है जो इमाम अले० ने फ़रमाया, क्यूंकि शब्द एक इमाम की नियूत्कि का सुबूत हैं कयूंकि वह नकिरा (जाति वाचक संज्ञा) है जो कलामे मुस्बित में वाक़े हुवा है इस लिये वह ग़ैर मुतऐइन (अनिश्चित)पर दलालत करता है और उसका अत़्फ़ (संयोजन) महज़ूफ़ (वह शब्द जो इबारत में न हो लेकिन उस का अर्थ लिया जाये) पर है। तब इबारत इस तरह होगी *इजअलनी इमामन् व मिन ज़ुर्रीयती इमामन्* यानि मुझे इमाम बना और मेरी संतान में से एक इमाम बना। इस से साबित हुवा कि एक इमाम जो मब्ऊस होगा इब्राहीम अले० के बाद अगर वह अम्बिया के दर्जे में रखा जाय तो वह उन (उम्बिया) के दरमियान मुख़स्सस (विशेष) होगा। अगर हम कहें कि वह मूसा अले० हैं तो यह सवाल होगा कि ईसा अले० क्यों नहीं और अगर हम कहें कि वह ईसा अले० हैं तो सवाल होगा कि मूसा अले० क्यों नहीं. और हम कहें कि पिछले औलिया में से कोई एक वली है तो सवाल होगा कि दूसरा वली क्यों नहीं। अगर इस उम्मत के औलिया में से कोइ वली मुराद लिया जाय तो यह मुसल्लम (प्रमाणित) है और वह महेदी मौऊद अले० हैं क्योंकि उनकी इमामत मुत्तफ़क़ अलैह (सर्व मान्य) है और

सियाक़े (प्रकरण) आयत में दलील ज़ाहिर है क्योंकि इब्राहीम अले० ने अपनी संतान में से उम्मते मुस्लिमा को मंगा है और वह मुहम्मद सल्ला० की उम्मत है और उसकी रक्षा के लिये उन में से एक रसूल को भेझने की दुआ की वह (रसूल) मुहम्मद सल्ला० हैं। इस से ज़ाहिर हुवा कि इस उम्मत की रक्षा के लिये इब्राहीम अले० ने जिन को तलब किया वह महेदी मौऊद अले० है, चुनांचे इमाम अले० ने अल्लाह की मुराद का बयान फ़र्माया कि वह यही ज़ात है कोइ दूसरा नहीं. क्योंकि आप अले० आलिमे रब्बानी और किताबुल्लाह के उन असरार (भेदौं) को खोलने वाले हैं जो हमारे नबी सल्ला० के बाद किसी दूसरे पर नहीं खोले गये। हज़रत ममेदी अले० का क़ौल दलीले क़तई (निश्चित तर्क) है और उसकी तस्दीक़ वाजिब है उन अख़लाक़ के कारण जिनहों ने अम्बिया के क़ौल के क़ुबूल करने को वाजिब कर दिया, जैसा कि अक़ाइद की किताबौं मे ज़िकर किया गया है कि जो चीज़ मुख़बिरे सादिक़ (सच्चा सूचक) के अक़वाल से साबित हो वह सच है, इस लिये ग़ोर करो और इन्साफ़ करो और कजरवी (कुटिलता) मत करो, क्योंकि यह बात ज़ाहिर है, अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि ''मेरे वचन में अत्याचारी सम्मिलित नहीं हैं'' (२:१२४) यानि अल्लाह तआला ने इब्राहीम अले० से फ़र्माया कि ऐ इब्राहीम मैं ने तुझ से वादा किया है कि मैं तेरी संतान में हुक्मे अज़ल (सृष्टि काल के निर्णय) से आज्ञ कारी मुसलमानौं के लाभ के लिये इमाम बनाऊंगा लेकिन इस इमाम का लाभ ज़लिमीन (अत्याचारी) को नहीं पहुंचेगा। ज़ालिमीन से मुराद इन्कार करने वाले और उस इमाम की इताअत न करने वाले (अवज्ञाकारी) हैं, और वह इमाम अपने रब की तरफ़ से जिन बातौं की तहकीक़ को पेष करता है उन से मुंह फेरने वाले हे और वही उनका अपने आप पर ज़ुल्म करना है।

यह भी फ़र्माया कि जब अल्लाह तआला ने इब्राहीम अले० को लोगों का इमाम बनाने का इरादा किया तो आप अले० को सिहते इमामत के लाइक़ चंद बातों की अदाइ में आप को आज़माया तो इब्राहीम अले० ने उन बातों को पूरा

किया जैसा कि अल्लाह ने उन बातों को पूरा करने का हुक्म दिया था जैसा कि अल्लाह तआला फ़र्माता है ''और जब इब्राहीम की उसके रब ने कुछ बातों में परीक्षा ली, तो उसने उन्हें पूरा कर दिखाया''। अकसर मुफ़स्सिरीन ने कहा है कि वह दस बातें हैं जिन में से पांच सिर के मुताल्लिक़ हैं - मांग निकालना, नाक में पानी लेना, कुल्ली करना, मूंछ कतरवाना और मिसवाक करना, और पांच बातें शरीर से मुताल्लिक़ हैं - बग़ल के बाल निकालना, नाख़ुन तराश्ना, नाफ़ के नीचे के बाल निकालना, ख़तना करना और नजासत पाक करना। इब्ने अब्बास रज़ी० से रिवायत है कि वह बातें शरई मुआमिलात में से तीस हिस्से हैं जिन में से दस सूरह मोमिन की आयत *''क़द् अफ़लहल् मोमिनून''* और दस सूरह अहज़ाब की आयत *इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात* और दस सूरह मअरिज की आयत *इल्लल् मुसल्लीन अल्लज़ीन हुम अला सलाति हिम दाइमून* में हैं। हज़रत महेदी अले० से रिवायत है कि वह बातें चालीस हैं, तीस वह हैं जो इब्ने अब्बास रज़ी० ने बयान की हैं और बाक़ी सूरह अल फ़ुरक़ान की आयत *व इबादुर रहमानिल्लज़ीन यमशौन अलल् अरज़ि हौनंव व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामं* में इबादुर रहमान के औराफ़ (गुण) में हैं। इमाम अले० ने फ़र्माया कि इस में इमामत की सिहत (शुद्धि) पर दलील है यानि निःसेदह अल्लाह तआला इमाम के सिवा किसी दूसरे में यह औसाफ़ जमा नहीं करता, और जो कोई भी मेरी इमामत की सिहत पर दलील (तर्क) मांगता है उसकी चाहिये कि मेरी ज़ात में ग़ौर करे, अगर इन बातों को पाए तो स्वीकार करे। मैं (लेखक) कहता हूँ कि अल्लाह तआला ने ऊपर बयान किये गये औसाफ़ के ज़ेवर से इमाम अले० की ज़ाते मुबारक को मुज़ैयन (सुसज्जित) फ़र्माया ताकि अरबारे बसीरत इन औसाफ़ का मुआयना (पर्यवेक्षण) करें और उन को देखकर आनंद लें यहांतक कि वह कहदें कि यह बशर (मानव) नहीं है।

दूसरी आयत

فان حآجّوکَ فقُل اسلمتُ وجھی للہ ومن اتبعن (آل عمران ۲۰)

तो यदि वे लोग तुमसे झगड़ें, तो कह दोः ''मैंने और मेरे अनुयायियों ने तो अपने - आपको अल्लाह के समर्पण करदिया''। (आले इम्रान-२०)

हज़रत महेदी मौऊद अले० से रिवायत की गई है कि आप ने फ़र्माया अल्लाह तआला ने मेरे लिये हुक्म फ़र्माया कि *मनित् तबअनि* का *मन* ख़ास है और उस से मुराद केवल तेरी ज़ात है दूसरा कोइ नहीं। मैं (लेखक) कहता हूँ कि सत्य वही है जो इमाम अले० ने फ़र्माया क्योंकि क़रीना (वह चीज़ जो उद्देश्य को निश्चित करे) उसकी विशेषता पर आयत के बयान में मौजूद है। वह विशेषता थी अहले ज़माना की शत्रुता नबी सल्ला० से दावत सुन्ने के बाद और आप सल्ला० का उन लोगौं की दुश्मनी पर अल्लाह के हुक्म से राज़ी बरज़ा (भाग्य तुष्ट) होजाना और ताबे (अनुयायि) को चाहिये कि वह ऐसा ही हो और वह ज़ात महेदी मौऊद अले० की है, क्योंकि आप की दावत और ख़ुदा के हुक्म से राज़ी बरज़ा होजाना ऐसा ही है जैसा कि फ़र्माया *फ़इन हाज्जूक* यानि अगर अहले किताब तेरी नबूवत की सिहत और तेरी किताब की सदाक़त (सत्यता) पर अदाय तब्लीग़ (धर्म प्रचार) के बाद तुम से झगड़ा करें तो ए मुहम्मद सल्ला० तुम उनसे कहदो कि में ने तुम्हारे पास उस चीज़ को पहुंचा दिया जिस के साथ मैं रसूल बनाकर भेजा गया लेकिन तुम अपने इस ज्ञान के बावजूद कि वह तुम्हारे रब की तरफ़ से हक़ (स्तय) है हसद व इनाद (डाह और द्वेष) के कारण मुझपर और मेरी किताब पर ईमान नहीं लाते हो। मैंने झुकादिया अपने चहरे को अल्लाह के लिये यानि ख़ालिस (शुद्ध) करदिया मैं ने अपनी ज़ात को अल्लाह के लिये और इस्लाम लाया और वह भी इस्लाम लायगा जो मेरी पैरवी (अनुकरण) करेगा। यानि ख़ालिस करेगा अपनी ज़ात को अल्लाह के लिये

जिस तरह मैंने अपनी ज़ात को अल्लाह के लिये ख़ालिस किया, जब कि उसके मुख़ालफ़ीन उस से झगड़ा करेंगे।

इस से मालूम हुवा कि यहाँ मत्बूअ (जिसका अनुसरण किया जाता है) का ताबे (अनुसरण कर्ता) जिस पर दाअवत वाजिब है और जिस की इताअत (आज्ञा पालन) बन्दौं पर वाजिब है और सब हालात में वह अपने मत्बूअ के समान है, जैसा कि *'कश्फ़ुल् - हक़ाइक़'* में ज़िकर की गई आपकी ख़ुसूसियात से मालूम होता है जो नूरे मुहम्मदी से अर्वाह और अनवार के इसतिख़राज (निष्कासन) के बयान में ज़िकर की गई हैं, और वह क़ौल लेखक का है कि उसी से महेदी की रूह स्थापित हूवी जैसा कि बच्चा अपनी माँ से स्थापित होता है। जब नबी सल्ला० को आपकी नबूवत दी गई तो महेदी अले० को नबी सल्ला० की विलायत दी गई, इस लिये महेदी अले० की ज़ात नबी सल्ला० की ज़ात के समान है और महेदी का गुरोह (सम्प्रदाय) नबी के गुरोह के समान है, महेदी का सबर नबी के सबर के समान है और महेदी का तवक्कुल नबी के तवक्कुल के समान है और अकसर हाल में महेदी अले० नबी सल्ला० के बराबर हैं। इस से साबित हुवा कि नबी सल्ला० और महेदी अले० अकसर अहवाल में बराबर हैं, और इस उम्मत में महेदी अले० के सिवाय कोई इस शान का नबी सल्ला० का ताबे (अनुसरण कर्ता) नहीं है। इस लिये चिंतन और नियाय कर, पथभ्रष्ट ना होजा क्योंकि यह बात ज़ाहिर है।

तीसरी आयत

لاٰیاٰتٍ لّاولی الباب ہ الذین یذکرون اللہ قیاماً
وقعوُداً وّعلیٰ جنوبھم (آل عمران ١٩٠، ١٩١)

बुद्धिमानों के लिये बहुत-सी निशानियाँ हैं। उनके लिये जो खड़े, बैठे और अपने पहलुओं पर अल्लाह का ज़िकर करते हैं (आले-इमरान-१९०-१९१)

हज़रत महेदी मौऊद अले० से रिवायत की गइ है आप ने फ़र्माया कि अल्लाह तआला ने मुझे हुक्म किया है कि *ऊलिल अल्बाब* (बुद्धिमानों) से मुराद केवल तेरी क़ौम है। मैं कहता हूँ हक़ वही है जो इमाम अले० ने फ़र्माया क्योंकि वह लोग तमाम उम्मत से रासिख़ (साबित क़दम) हैं अल्लाह तआला की बनाइ हुवी मुख़्तलिफ़ चीज़ों में ग़ौर-व-फ़िकर करने के लिये और हर हालत में यानि ख़ड़े बैठे और लेटे हुवे अल्लाह का ज़िकर करने वाले हैं और सदाक़त (सत्यता) की ज़बान से कहने वाले हैं कि ए हमारे पर्वरदिगार तूने उसको बे फ़ाइदा नहीं बनाया, तेरी ज़ात पाक है, हम को दोज़ख़ के अज़ाब से बचा। वे लोग उम्मत में अपनी विशेषताओं जैसे तवक्कुल, तस्लीम, दान शीलता, माल ख़र्च करने, मुख्वत (शील संकोच), क्षमा और अकसर प्रशंसित अहवाल में विशिष्ट हैं और यह बातें उनमें प्रसिद्ध हैं जो ख़ास और आम में से किसी से छिपी हुवी नहीं हैं। इस का समर्थन उस से होता है जो ''मज़्हर शर्ह अल-मसाबीह'' के लेखक ने बाबे इनफ़ाक में कहा है कि लोगों में बसीरत रखने वाले, आख़िरत की इच्छा करने वाले, दुन्या को छोड़ने वाले जो एक दिन की क़ूवत पर क़िनाअत करते है और माल को ज़ख़ीरा करके नहीं रखते। हर ज़माने में मुतवक्किलों की एक जमाअत ऐसी पाइ गयी लेकिन आम लोग इस सिफ़त (गुण) से मौसूफ़ नहीं हुवे मगर हज़रत महेदी मौऊद अले० ही के ज़माने में (इस सिफ़त से मौसूफ़ हुवे)। इस से मालूम हुवा कि इस क़ौम के ख़ास और आम लोग मुतवक्किल होंगे और उपर्यूक्त सिफ़तों (विशेषण) से मौसूफ़ (विशेष्य) होंगे और इस उम्मत के लोगों में वही

लोग बसीरत (परिज्ञान) वाले हैं और वही बुद्धिमान् हैं। यह सही है जो इनाम महेदी मौऊद अले० ने अल्लाह तआला की मुराद (उद्देश्य) के मुवाफ़िक़ (अनुकूल) फ़र्माया कि वही लोग हैं जो कहते हैं *''ए हमारे रब। तूने जिसे आग (नरक) में डाला निस्संदेह उसे रुसवा (निंदित)कर दिया''* (आले - इम्रान - १९२)। हज़रत महेदी मौऊद अले० से रिवायत की गई है कि आप ने फ़र्माया कि यह आयत इस बात पर दलालत करती है कि जो शख़्स आग में डाला जाएगा तो फिर उस से कभी नहीं निकलेगा, क्यों कि अल्लाह तआला ने अपने क़ौल *''निस्सन्देह उसे निंदित कर दिया''* से उसके हाल की सूचन दी है। यह उसके लिये वईद (सज़ा देने का वादा) है और मोमिन उस से सुरक्षित है जैसा कि अल्लाह तआला ने फ़र्माया *''जिस दिन कि अल्लाह तआला 'नबी' को और उन लोगों को जो ईमान लाकर उसके साथ होगये रुसवा नहीं करेगा''* (अत-तहरीम-८)। ज़ालिमों के लिये मदद करने वाले नहीं हैं। यह आयत भी इस बात का समर्थन करती है क्योंकि जो शख़्स भी आग में दाख़िल हुवा वह काफ़िर ही है, उसके लिये कोई शफ़ाअत करने वाला नहीं है जैसा कि मोमिनीन के लिये है।

सत्य वही है जो महेदी मौऊद अले० ने फ़र्माया कि मोमिन आग में नहीं डाला जाएगा और न अल्लाह उसको रुसवा करेगा, क्योंकि आग में डाला जाना और निंदित होना काफ़िर के लिये है मोमिन के लिये नहीं और वही (बसीरत वाले) हैं जो कहते हैं *''ए हमारे रब बेशक हमने सुना मुनादी (उदघोषणा)''* (आले-इम्रान-१९३) को और वह मुनादी महेदी मौऊद अले० हैं। यह इस लिये कि रसूलुल्लाह सल्ला० के लिये दाई (निमंत्रण कर्ता) का ख़िताब है जैसा कि अल्लाह तआला फ़र्माता है *''हिकमत और सदुपदेश के साथ अपने रब के मार्ग की ओर बुलाओ''* (अन-नहल-१२५)। पस मुनादी यानि महेदी मौऊद अले० ईमान के लिये निदा करते (बुलाते) हैं यानि शुद्ध ईमान के लिये और यही आप का मन्सब (पद) है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने शरई अहकाम की बुन्याद रखी और लोगों को हिकमत और सदुपदेश के साथ उन अहकाम की तरफ़ बुलाते रहे,

काफ़िरों और मुश्रिकों को क़तल करते रहे। लेकिन मुनादी (महेदी) को इस्लामे ज़ाहिर की रिआयत से जहाद का आदेस नहीं दिया गया क्योंकि महेदी अले० - रसूलुल्लाह सल्ला० की उम्मत पर मबऊस (नियुक्त) हैं और इसी तरह अल्लाह तआला फ़र्माता है *मुनादियें युनादी लिल - ईमान* जैसी कि महेदी मौऊद अले० की दावत थी कि अपने रब पर ईमान लाओ। वह कहते हैं कि ए हमारे रब हम ईमान लाए मुनादी के बुलाने पर और वह महेदी मौऊद हैं *''हमारे रब। तू हमारे गुनाहों को क्षमा कर दे और हमारी बुराईयों को हमसे दूर कर दे, और हमें मृत्यु वफ़ादारों के साथ दे''* (आले इम्रान - १९३) यह ईमाने कामिल का नियम है कि बन्दा पल पल नम्रता के साथ अल्लाह तआला की तरफ़ रुजूअ (तवज्जुह) करता है। वही बसीरत वाले लोग कहते हैं *''हमारे रब। जिस चीज़ का वादा तूने अपने रसूलों के द्वारा हमसे किया है वह हमें प्रदान कर''* (आले - इम्रान - १९४) यह विषय विस्तार पूर्ण है और इस में वह सब चीज़ें शामिल हैं जिनका वादा अल्लाह तआला ने किया है अपनी कृपा से मोमिनों के लिये इन्आम व इक्राम का अपने रसूलों के द्वारा। *क़ियामत के दिन हमें रुसवा न करना''* क्योंकि तूने वादा किया ए हमारे रब *''जिस दिन कि अल्लाह नबी को और उन लोगो को जो उसके साथ ईमान लाय''* तू पूरी कर उस चीज़ को हमारे लिये जिसका तूने हम से वादा फ़रमाया *''निस्सन्देह तू अपने वादे के विरूद्ध जाने वाला नहीं है, तो उनके रब ने उनकी विनय सुन ली कि मैं तुम में से किसी कर्म करने वाले का कर्म अकारथ नहीं करूँगा, पुरुष हो या स्त्री, तुम सब एक दूसरे से हो''* (आले-इमरान- १९४, १९५)

हज़रत महेदी मौऊद अले० ने एक अस्पष्ट कर्म यानि इस आयत को विस्तार पूर्वक बयान फ़रमाया *''तो जिन लोगों ने घर-बार छोड़ा, और जो अपने घरों से निकाले गये और मेर मार्ग में सताय गये, और लड़े और मारे गये''* (आले इमरान - १९५)। हज़रत महेदी मौऊद अले० से रिवायत की गई है कि आप ने अपनी आख़री उमर में अजमी भाषा में फ़रमाया कि *'हाजरू'* (धरबार छोड़ा) पूरा

हुवा, *व उख़रिजू मिन दियारिहिम* (और जो अपने घरों से निकाले गये) होगया, *व ऊज़ू फ़ी सबीली* (और मेरे मार्ग में सताये गये) पूरा हुवा, *व क़ातलू व क़ुतिलू* बाक़ी रह गया है, अल्लाह चाहेगा होगा। आप ने क़िताल (रक्त पात) के विषय को अस्हाबे किराम हज़रत सैयद ख़ुंदमीर रज़ी० के हवाले किया और फ़र्माया कि अगर तुम्हारे विरुद्ध तमाम दुन्या की सेना आजये तो अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे पहले हमले में शिकस्त (पराजय) पायेगा, फिर तुम दूसरे दिन अल्लाह के हुक्म से शहादत पावगे जैसा कि अल्लाह तआला का वचन है *क़तल किये और क़तल किये गये'*।

हज़रत महेदी मौऊद अले० के विसाल (निधन) के बाद बंदगी मियाँ सैयद ख़ुदंमीर रज़ी० बीस वर्ष जीवित रहे। जैसा कि औतात से रिवायत है कि मुझे सूचना मिली है कि महेदी अले० रसूलुल्लाह सल्ला० की पुत्री फ़ातिमा रज़ी० की संतान से है वह पाँच वर्ष जीवित रहेंगे फिर अपने बिस्तर पर रेहलत (देहावसान) करेंगे। फिर एक शख़्स फ़ातिमा रज़ी० की संतान से महेदी अले० की सीरत पर होगा, वह बीस वर्ष जीवित रहेगा। फिर हतियार से क़तल किया जायगा, तिरमिजी ने इस रिवायत को सनद से बयान किया है।**

बदंगी मियाँ सैयद ख़ुंदमीर रज़ी० अपने जीवन में अल्लाह पर भरोसा किये हुवे उस घटना के मुन्तज़िर थे। जब उसका समय आगया तो अल्लाह ने ग़ैब के ख़ज़ाने से बंदगी मियाँ रज़ी० को साठ धोड़े प्रदान किये और आपके पास देढ़ सौ आदमी जमा होगये और वह उसी तैयारी के साथ अल्लाह पर भरोसा किये हुवे थे। आप का उद्देश ज़ाहिरी अधिकार प्राप्त करना और मुल्क पर क़बज़ा करना नही था। गुजरात के बादशाह मुज़फ़्फ़र ने केवल महेदियत के इन्कार के

**(यह पुस्तक लग-भग चार सौ साल पहले लिखी गई है, उस समय छापा खाना नहीं था। हस्त लिखित किताबों से अहादीस नक़ल की गई हैं। महेदी अले० ओर क़ौमे महदी के विरोधीयों ने शत्रुता के कारण औतात से रिवायत की गई इस हदीस को जो लफ़्ज़ ब लफ़्ज़ गुरोहे मुक़द्दसा महदविया के अनुकूल है क़दीम किताबो से ख़ारिज करके छाप दिया इस लिये तिरमिज़ी के मौजूदा किताबों में यह हदीस नहीं है। अगर चार सौ साल पुरानी हस्त लिखित पुस्तक मिल जाय तो उसमें अवश्य यह हदीस मिलेगी)।

कारण बंदगी मियाँ रज़ी० के साथ दुश्मनी की और उन से मुक़ाबले के लिये सेना भीजी जिस में युद्ध के उपकरण के साथ बारह सौ सवार और सोला हज़ार पैदल सेनिक थे। बंदगी मियाँ सैयद ख़ुंदमीर रज़ी० के साथ साठ सवार बिना उपकरण के और बाक़ी पैदल थे।

जब सेना उनके समाने आई तो बंदगी मियाँ रज़ी० और आपके साथी शिआरे इस्लाम ज़ाहिर (प्रकट इस्लामी आचरण) का आदर करते हुवे उन से मुंह फेरे हुए रहे, लेकिन जब शत्रु की सेना उनके घरों में घुस गई और मस्जिद को जला दिया तो बंदगी मियाँ रज़ी० को बिना माध्यम के अल्लाह का आदेश हुवा कि यह सेना तुम्हारे घरों में घुसकर और मस्जिद को जलाकर काफ़िर हो गयी अब उनके लिये कोई आदर नहीं अब उनगी ओर पलटो उनगी गर्दनें मारो। इस तरह अल्लाह के हुक्म से उन से लड़े और उनमें से बहुत सारों को क़तल किया। अल्लाह ने शत्रु के दिलों में ऐसा भय डाल दिया कि वे प्राजित होकर भागने लगे। लगातार बारा मील ऐसा भागे कि बड़ा छोटे को और छोटा बड़े को पलटकर नहीं देखा। अल्लाह तआला ने इस क़िताल को अपनी वहदानियत की क़ुद्रत की निशानी और महेदी मौऊद अले० ने बंदगी मियाँ रज़ी० को जो वसीयत की थी उसकी सत्यता की दलील बनाया। जैसा कि अल्लाह तआला ने बद्र के युद्ध के दिन सूचना दी थी कि *''तुम्हारे लिये उन दोनों गुरोहों में जिनकी (बद्र के युद्ध में) मुठभेड़ हुई एक बड़ी निशानी है: एक गुरोह अल्लाह के मार्ग में लड़ रहा था, और दूसरा काफ़िर था, ये उन्हें (मुसलमानों को) अपनी आँखों से देख रहे थे कि ये इनसे दूने हैं। और अल्लाह अपनी सहायता से जिसे चाहता है शक्ति दे देता है। निस्सन्देह इसमें उनके लिये नसीहत है, जिनके पास आँखें हैं।* (आले-इमरान-१३)

अल्लाह ने उस युद्ध को निशानी और नसीहत बनाया बुद्धि - मान के लिये और वे मोमिनीन मुख़लिसोन हैं, अदावत रखने वाले मुनकिरीन नहीं। ऐसा ही यहाँ भी (इस युद्ध में) है, इस लिये समझले और न्याय कर, न्याय के मार्ग से मुंह ना फेर, क्योंकि यह स्पष्ट है।

चौथी आयत

فسوف یاتی اللّٰہ بقوم یحبھم ویحبونہ
(سورۃ المائدۃ ۵۴)

जल्द ही अल्लाह तआला एक ऐसी क़ौम को लायेग कि उन से अल्लाह को प्रेम होग और वह क़ौम अल्लाह से प्रम रखेगी। (अल - माइदा - ५४)

हज़रत महेदी मौऊद अले० से रिवायत है कि आपने फ़र्माया कि मुझको अल्लाह तआला ने हुक्म फ़र्माया है कि उस क़ौम से मुराद केवल तेरी क़ौम है, कोई दूसरी नहीं। मैं कहता हूँ कि सत्य वही है जो आप ने फ़र्माया, क्योंकि शब्द *सौफ़* का यही अर्थ है, क्योंकि *सौफ़* दूर भविष्यत्काल के लिये कहा गया है, और वह उम्मत का दरमियानी (मध्यवर्ती काल) ज़माना है जो महेदी अले० के ज़हूर का समय है, जैसा कि हदीस के शब्दों से समझ में आता है कि ''महेदी मेरी अहले बैत से उम्मत के दरमियान में है''।

मुफ़स्सिरीन में उस क़ौम को (जिसका ज़िकर उस आयत में किया गया है) निर्दिष्ट करने में बहुत मतभेद हुवा है। किसी ने भी उस शब्द के अर्थ की वास्तविकता को नहीं पाया, बल्कि सब के सब हैरान होकर रह गये और कहा कि उस क़ौम से मुराद अन्सार या अबूबक्र रज़ी० या सल्मान रज़ी० हैं और बाज़ ने कहा कि ऐसा नहीं है, जैसा कि *''मआलिमुत - तंज़ील''* में लिखा है कि उस क़ौम से मुराद अन्सार या अबू बक्र रज़ी० या सल्मान रज़ी० नहीं है बल्कि एक क़ौम का नबी सल्ला० के बाद भविष्य काल में आना मुराद है। क़ाज़ी शहाबुद्दीन ने अपनी तफ़सीर *''बहरूल-मब्वाज''* में और *''तफ़सीर नेसापुरी''* के लेखक ने कहा है कि ''शायद उस (क़ौम) से मुराद महेदी अले० की क़ोंम है।

सत्य वही है जो महेदी अले० ने अल्लाह तआला की मुराद बयान फ़रमाई। अल्लाह तआला ने अपने हबीब सल्ला० को सूचना दी कि कहदो उन

मोमिनीन से जो हाज़िर हैं। *''हे ईमान लाने वालो! जो कोई तुम में से अपने दीन से फिर जाएगा,* तो अल्लाह उसके ईमान से बेनियाज़ (निस्पृत) है'' *जल्द ही अल्लाह एक क़ौम को लायेगा,* यानि अल्लाह भविष्य काल में एक ऐसी क़ौम को लाएगा जिसमें मुरतिद नहीं होंगे। उस क़ौम के लोग सब के सब अल्लाह तआला के अहकामे ज़ाहरी और बातिनी के मुतीअ (आज्ञाकारी) होंगे, क्योंकि अल्लाह तआला उनसे प्रेम करेगा और वे अल्लाह से प्रेम करेंगे। यह ऐसी कृपा है जो सम्पूर्ण कृपाओं के समान है, क्योंकि मुहब्बत (प्रेम) केवल अल्लाह के औलिया और असफ़िया (ईश्वर भक्त महात्मा) को ही मिलती है। इसका यह अर्थ हुवा कि उस क़ौम के लोग सब के सब औलिया हैं और यही अर्थ इस आयत के बयान में स्पष्ट है। इस लिये अच्छी तरह समझले कि यह अल्लाह की कृपा है जिसको चाहे प्रदान करे, और *''यह अल्लाह का फ़ज़्ल (अनुग्रह) है जिसे चाहता है देता है। अल्लाह* बड़ी वुस्अत वाला और जानने वाला है। (अल-माइदह - ५४)

पाँचवी आयत

واوحی الیّ هذا القرآن لانذرکم به ومن بلغ (الانعام ۱۹)

और यह क़ुरआन मेरी ओर वही किया गया है ताकि मैं इससे तुम्हें डराऊँ और वह डराएगा जो मेरे मक़ाम को पहुंचे। (अल - अन्आम - १९)

हज़रत महेदी मौऊद अले० से रिवायत है कि आप ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने मुझे आदेश दिया है कि यह ***मन*** ख़ास है और इस से मुराद केवल तेरी ज़ात है कोई दूसरा नहीं। मैं (लेखक) कहत हूँ कि सत्य वही है जो आप अले० ने फ़रमाया, क्यों कि आयत के अर्थ में क़रीन (अनुमान) उस *'मन'* के ख़ास होने को ज़ाहिर करता है, इस लिये कि वह अर्थ दूसरे के लिये उचित नहीं है। इसके तीन कारण हैं - पहला कारण यह कि *'इलय्या'* में जो 'या' है उस पर अत्फ़ (संयोजन) हो यानि *ऊहिय इलय्य व इला मन् बलग़* इस सूरत में यह माना होंगे कि ''यह क़ुरआन वही किया गया है मेरी तरफ़ और उस शख़्स की तरफ़ जो मरे मर्तबा व मक़ाम को पहुंचे''।

अगर आप यह कहें कि महेदी अले० की तरफ़ क़ुरआन का वही किया जाना का क्या अर्थ है जबकि नबी सल्ला० पर वही किया जाना सब ख़ास और आम पर ज़ाहिर है, तो मैं (लेखक) कहता हूँ कि महेदी अले० की तरफ़ वही माना (अर्थ) के लिहाज़ से है। महेदी अले० की ओर क़ुरआन के माना बिना किसी माध्यम के वही किये जाऐंगे, जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाता है *''फिर हमारे ज़िम्म है उस (कुरआन) का बयान''* (अल-क़ियामा - १९), यानि महेदी मौऊद अले० की ज़बान से विलायते मुहम्मदी के इज़्हार के साथ।

दूसरा कारण यह है कि अत्फ़ उस ज़मीरे मुस्ततिर (गुप्त सर्वनाम) पर हो जो *लिउन्ज़िरकुम* में है और यह बात माअतूफ़ और माअतूफ़ अलैहि में फ़स्ल

(वियोजन) होने से जाइज़ है ''यानि मैं डराऊंगा तुम को क़ुरआन के ज़रिए और वह डराएगा तुमको क़ुरआन के ज़रीए जो मेरे मक़ाम को पहुंचे''। तीसरा कारण यह है कि अत्फ़ ज़मीर *''कुम''* पर हो जो *''लिउन् ज़िरकुम''* में है, यानि ''क़ुरआन के ज़रीए मैं तुमको डराऊंगा और वह डराएगा जो मेरे मक़ाम को पहुंचे। इस सूरत में *''व मन बलग़''* से मुराद महेदी अले० की ज़ात होगी और जो ज़मीर *''बलग़''* में गुप्त है क़ुरआन की ओर लौटेगी और जो ज़मीर *'मन'* की ओर लोटती है महज़ूफ़ है, यानि ''और जिसको क़ुरआन बतरीक़ विरासत पहुंचे। जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाता है *''फिर हमने इस किताब का वारिस बना दिया उन लोगों को जिन्हें हम ने अपने बन्दों में से चुन लिया। अब कोई उनमें अपने-आप पर ज़ुल्म करने वाला है और कोई उनमें बीच की राह चलने वाला है, और कोई उनमें अल्लाह की अनुमति से नेकियों में आगे (अग्रसर) रहने वाला है। यही बहुत बड़ा फ़ज़्ल (अनुग्रह) है।* (फ़ातिर - ३२)। इस बयान में एक लतीफ़ा (सुक्षमता) है, जिसको वही जान सकता है जो क़ुरआन के मआनी (अर्थ) के समुद्र का ग़व्वास (मज्जनार) हो, और वह यह है कि महेदी अले० की क़ौम के हक़ में मुनज़िर (डराने वाले) हक़ीक़त में नबी सल्ला० हैं क्यों कि महेदी अले० नबी सल्ला० की विलायत के मुज़हिर (ज़ाहिर करने वाले) हैं। (महेदी अले० का डराने वाला होना वस्तुतः नबी सल्ला० का डराने वाल होना है)।

छटी आयत

فان يكفُر بها هٰولآءِ فقد وكّلنا بها قوماً ليسوا
بها بكافرين (الانعام ٨٩)

अब यदि ये लोग इसे मानने से इन्कार करें तो हमने इसको कुछ ऐसे लोगों को सोंपा है जो इसका इन्कार करने वाले नहीं हैं (अल-अनआम - ८९)

महेदी मौऊद अले० से रिवायत है कि आप ने फ़रमाया मुझे अल्लाह ने आदेश दिया है कि उस क़ौम से मुराद केवल तेरी क़ौम है कोई दूसरी नहीं। मैं कहता हूँ कि सत्य वही है जो आप अले० ने फ़रमाया, यानि अल्लाह तआला ने अपने हबीब रसूलुल्लाह सल्ला० को सूचना दी है कि अगर इनकार करें इनका यानि उन चीज़ों का जो चर्चित अम्बिया को दी गयीं जैसे किताब और हिकमत। यह सब लोग यानि यह सब विरोधी तो हम ने उनपर एक क़ौम को नियुक्त किया है। उन विरोधियों से मुराद नबी सल्ला० के अत्राफ़ के कुफ़्फ़ार हैं। वह क़ौम जिसको अल्लाह ने नियुक्त किया है वह महेदी मौऊद अले० की क़ौम है जिसमें इनकार करने वाले नहीं हैं। उनमें कुफ़्र और शत्रुता रखने वालों की टुकड़ी नहीं होगी, बल्कि वह सब मुसद्दिक़ उन तमाम उमूर (विषयों) की इताअत करने वाले होंगे जो ऐ मुहम्मद सल्ला० तुम्हारे रब की ओर से तुम पर नाज़िल हुवे हैं। अल्लाह तआला ने उस क़ौम का वस्फ़ (गुण) अपने इस क़ौल में बयान फ़रमाया है कि *''जलद ही अल्लाह तआला एक ऐसी क़ौम को लाएगा जो अल्लाह से मुहब्बत करेगी और अल्लाह उन से मुहब्बत करेगा''*।

दोनों आयतों के सियाक़ (प्रवचन प्रणाली) से यह मालूम हुवा कि (यह गुण) उस क़ौम को अल्लाह तआला की कृपा और अनुकम्पा से प्रदान हुवा है। यह अल्लाह तआला का फ़ज़्ल है जिसको याहे प्रदान करे। अल्लाह का फ़ज़्ल बहुत बड़ा है और यह ज़ाहिर है कि दया का सम्बंध कृपा से है अमल से नहीं और न

ज़ात व नसब से है। हज़रत महेदी मौऊद अले० ने फ़रमाया कि फ़ज़्ल उस के लिये है जिस पर अल्लाह फ़ज़्ल करे, ना कि अमल और ज़ात के आला होने से। *यह वही लोग है जिनको अल्लाह ने अपने दीन का मार्ग दिखाया, इस लिये तुम उनकी हिदायत का अनुकरण करो* (अल-अनआम-९०)। इस आयत में *''वही लोग''* का संकेत महेदी मौऊद अले० की क़ौम की ओर है। यानि (ऐ मुहम्मद सल्ला०) अल्लाह तआला ने उनको इतना अधिक प्रदान किया है कि उसका शुमार (गणना) नहीं हो सकता और अपनी कृपा से उनको तुम्हारी विलायत की इत्तेबाअ के ज़ेवर से आरास्ता (सुसज्जित) किया है, और वह विलायत (महेदी अले०) तुम्हारा बातिन है तुम उसकी पैरवी करो, वही शुद्ध तौहीद है, जैसा कि नबी सल्ला० ने फ़रमाया कि मैं अहमद मिम के बिना हूँ।**

** तौहीदे ख़ालिस यानि महेदी अले० तौहीदे ख़ालिस है। तौहीद का अर्थ है अल्लाह को एक मानना (अद्वैतवाद)। ख़ालिस का अर्थ है शुद्ध, यानि महेदी अले० स्पष्ट और गुप्त शिर्क से पाक हैं जैसा कि महेदी अले० ने फ़रमाया और अल्लाह महिमावान है - और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ (यूसुफ़ - १०८) यानि अल्लाह, मुहम्मद और महेदी अले० शिर्क से पाक हैं (ख़ालिस तौहीद हैं) और मख़लूक़ को ख़ालिस तौहीद की ओर बुलाने वाले हैं।

आँहज़रत सल्ला० ने फ़रमाया कि मैं अहमद बिला मीम हूँ यानि मुवहहिदे खालिस (शुद्ध एकेश्वर वादी) हूँ (स्पष्ट और गुप्त शिर्क से पाक हूँ)। हज़रत बन्दगी मियाँ शाह बुरहान रहे० ने लिखा है कि बुद्धिमान लोगों की एक जमाअत जो आठ पहर अल्लाह के ज़िक्र में मशग़ूल रहते हैं, उनमें से एक आरिफ़ ने यह रुबाई कही है, जिसका अनुवाद इस प्रकार है:

१) ऐ महेदी आख़िरुज़्ज़माँ आप इस हाल में तशरीफ़ लाये कि आप बातिन में ख़ुद मुहम्मद हैं

२) बारकल्लाह मर्हबा आपका आना अहमद के मानिंद हुवा

३) प्रसिद्ध मुहरे विलायत आपकी पुश्ते मुबारक पर (आप के खातिमे विलायते मुहम्मदी होने का निशान) है।

४.ऐ बहरे हक़ीक़त के मार्ग दर्शक आप अहमद बेमीम होकर आये। (शवाहिदुल विलायत)

सातवीं आयत

يا ايّها النبيّی حسبُک الله ومن اتّبعک من المومنین
(الانفال ٦٤)

हे नबी। तुम्हारे लिये और ईमान वालों में से तुम्हारा अनुसरण करने वाले के लिये तो बस अल्लाह काफ़ी है।

हज़रत महेदी मौऊद अले० से रिवायत है कि आप ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने मुझे हुक्म फ़रमाया है कि यह *'मन'* खास है और इस से मुराद केवल तेरी ज़ात है, कोई दूसरा नहीं। मैं कहता हूँ कि सत्य वही है जो आप ने फ़रमाया,क्योंकि आयत के बयान में अनुमान उसकी असाधारणता को ज़ाहिर करता है। इस आयत में कुफ़्फ़ार की ओर से धोका देने और आपको कष्ट देने पर नबी सल्ला० की ढारस बंधाई गई है, और आपके ताबेअ ताम के लिये भी ऐसी ही तसल्ली की आवश्यतकता थी, और वह महेदी मौऊद अले० हैं, क्योंकि आपके ज़माने के लोगों के हाथों सख़्त शत्रुता और कष्ट आपके साथ भी विशिष्ट हैं। इब्ने अरबी रहे० ने 'फुतुहाते मक्किया' में महेदी के विषय में लिखा है कि जब इमाम महेदी अले० निकलेंगे तो विशेषता से फ़ुक़हा आप के खुले दुश्मन होंगे, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठता बाक़ी नहीं रहे गी। जब महेदी अले० उनके अमल के ख़िलाफ़ हुक्म करेंगे तो वे उनको गुमराह समझेंगे, क्योंकि उनका एतक़ाद यह होगा कि इज्तिहाद का ज़माना समाप्त हो गया है, और उनके इमामें के बाद अब किसी को इज्तिहाद का दर्जा नहीं मिल सकता। अगर उस (महेदी) के हाथ में तलवार न होती तो वे फ़ुक़हा उसके क़तल का फ़तवा दे देते, और यदि उसके पास धन और शासन होता तो धन के लालच में और शासन से डर कर फ़ुक़हा उसके आज्ञाकारी हो जाते। इस से मालूम हुवा कि ज़माने वालों की मक्कारी और कष्ट दायकता नबी सल्ला० और महेदी अले० के साथ ख़ास है। उन दोनों के

साथ ग़ुर्बत भी विशिष्ट है, जैसा कि हदीस में है ''बेशक दीन ग़ुर्बत की हालत में शूरू हुवा और क़रीब है कि वैसा ही होजाए जैसा कि शुरू हुवा था, यानि क़रीब है कि दीन ग़ुर्बत की हालत में होजाए महेदी अले० के ज़माने में जैसा कि नबी सल्ला० के ज़माने में था। ग़ुर्बत से मुराद हिज्रत, इख़राज (निष्कासन), कष्ट और क़तल है। इसी लिये अल्लाह तआला ने नबी सल्ला० की तसल्ली के लिये फ़रमाया कि ए नबी! तुम्हारे लिये और तुम्हारे ताबेअ (महेदी) के लिये अल्लाह काफ़ी है, यानि हम तुम्हारी नबूवत के उमूर और तुम्हारी विलायत के अहकाम को पूरा करेंगे, और कुफ़्फ़ार की कष्ट दायकता और मक्कारी उन दोनों को कोई ज़रर (हानि) नहीं पहुंचाएगी। अल्लाह तआला फ़रमाता है *''और अल्लाह अपने नूर (प्रकाश) को पूरा करके रहेगा चाहे काफ़िरों को बुरा ही क्यों न लगे* (उस - सफ़्फ़ - ८)।

इस से ज़ाहिर है कि नबी सल्ला० और महेदी अले० तमाम अहवाल में बराबर हैं। सत्य वही है जो महेदी मौऊद अले० ने अल्लाह के हुक्म से फ़रामाया कि यह *मन* ख़ास है, महेदी के सिवा किसी के लिये उचित नहीं। इस लिये ख़ुब समझलें कि यह बात वाज़ेह है।

आठवीं आयत

كتٰب احكمت آياته ثمّ فصلت من لّدُن حكيم خبير
(هود ۱)

यह एक किताब है जिसकी आयतें पहले मोहकम (दृढ़) की गईं फिर विस्तारपूर्वक बयान हुई हैं एक दाना (तत्वदर्शी) और ख़बीर (सर्वज्ञ) हस्ती की ओर से।

हज़रत महेदी मौऊद अले० से रिवायत है कि आप ने उसको अल्लाह की मुराद के अनुकूल इस तरह बयान फ़रमाया कि यह एक ऐसी किताब है जिसकी आयतें मज़बूत की गई हैं मुहम्मद सल्ला० की ज़बान से, फिर विस्तारपूर्वक बयान की जाऐंगी उसकी आयतें महेदी मौऊद अले० की ज़बान से हकीम ख़बीर (दाना ज्ञाता) की ओर से। अर्थात इस किताब की आयतें अल्लाह की ओर से सृष्टि काल से साबित हैं, यानि नुज़ूले क़ुरआन की मज़बूती मुहम्मद सल्ला० से और बयाने क़ुरआन की मज़बूती महेदी अले० से साबित है।

अल्लाह तआला फ़रमाता है *ऐ मुहम्मदा वही के पढ़ने के लिये अपनी ज़बान को हरकत न दो कि उसको शीध्र ही याद करलो। बेशक हमारे ज़िम्मे है उसे एकत्र करना और उसे पढ़ाना। तो जब हम उसे पढ़ें तो तुम उसके पढ़ने का अनुसरण करो।* (अल-कियामह - १६,१७,१८) नबी सल्ला० ने इस आदेश का आज्ञापालण किया। फिर अल्लाह तआला ने क़ुरआन के बयान को अपने से संबंधित किया और फ़रमाया *''फिर बेशक उस (क़ुरआन) का बयान हमारे ज़िम्मे है''*। यानि हम क़ुरआन को बयान करेंगे महेदी मौऊद अले० की ज़बान से आख़िर ज़माने में, वह (महेदी) वारिस है (इस बयान का) और विलायते मुहम्मदियह का ख़ातिम है और अल्लाह की किताब के असरार (रहस्य) का आलिम (ज्ञानी) है, और अहादीस और रिवायात इसी बात को प्रमाणित करते हैं।

नवीं आयत

افمن كان على بينة من ربّه......ولا كن اكثر الناس لا يومنون

भला वह व्यक्ति जो अपने रब की ओर से खुली दलील पर हो

इमाम महेदी मौऊद अले० ने फ़रमाया अल्लाह तआला ने मुझे यह हुक्म फ़रमाया है कि यह *'मन'* ख़ास है और इस से मुराद केवल तेरी ज़ात है, कोई दूसरा नहीं। मैं (लेखक) कहता हूँ कि सत्य वही है जो आप ने फ़रमाया, क्योंकि *मन* उमूमियत का एहतिमाल (सामान्यता का संदेह) रखता है, और ख़ुसूसियत (विशिष्टता) उस समय साबित होती है जब क़रीना (अनुमान जो उद्देश्य और लक्षय को निश्चित करे) उसका तक़ाज़ा करे (आवश्यकता को प्रमाणित करे)। यह बात आयत के बयान में ज़ाहिर है, इस तरह कि महेदी मौऊद अले० के सिवाय कोई भी मन का मिस्दाक़ (चरितार्थ) होने के योग्य नहीं है। अगर उस (मन) से मुराद भोमिनीन में से किसी साधारण व्यक्ति लिया जाए तो असली अर्थ के अनुसार उचित नहीं, और अगर उस से मुराद औलिया में से कोई विशिष्ट व्यक्ति लिया जाए तो यह अर्थ आयत के अनुकूल होता है। औलिया में विशिष्ट व्यक्ति महेदी मौऊद अले० ही हैं। यह बात दीन की ज़रा सी समझ रखने वाले से छिपी नहीं है।

सत्य वही है जो महेदी मौऊद अले० ने अल्लाह के आदेशानुसार फ़रमाया कि *मन* (वह व्यक्ति) से मुराद महेदी की ज़ात है और *बैइना* (खुली दलील) से मुराद विलायते मुहम्मदियह है और वह बातिने मुस्तफ़ा सल्ला० है। माना यह है कि भला वह व्यक्ति जो अपने रब को ओर से विलायते मुहम्मदियह पर हो ऐसे व्यक्ति के समान हो सकता है जो विपरीत प्रकार का हो, यानि दोनों बराबर नहीं हो सकते। *और पीछे आता है उसके गवाही देने वाला,* यानि महेदी

अले० के रब की ओर से क़ुरआन गवाही देने वाला है इस बात की कि महेदी अले० अपने हर क़ौल में सच्चे हैं, जैसा कि क़ुरआन ने हमारे नबी सल्ला० की सत्यता पर गवाही दी, *और उस से पहले मूसा अले० की किताब* है यानि क़ुरआन से पहले मूसा अले० की किताब भी गवाही देने वाली है कि महेदी अले० सादिक़ (सच्चे) हैं और इमाम हैं, जो मुहम्मद सल्ला० की उम्मत को हलाकत से बचाने आऐंगे यानि महेदी अले० का ज़िकर गुज़रे हुवे अम्बिया अले० के किताबों में मौजूद है।

काब अल-अहबार से रिवायत है कि कहा बेशक मैं महेदी अले० का ज़िकर अम्बिया अले० की किताबों में पाता हूँ, उनके हुक्म में कोई ज़ुतम और ऐब नहीं है। इमाम अबू अम्र मुक़री ने इस रिवायत को अपनी सुनन् में सनद के साथ बयान किया है और हाफ़िज़ अबू नईम बिन हम्माद ने भी उसको सनद से बयान किया है। *वह इमाम ओर रहमत है।* यानि भला वह व्यक्ति जो अपने रब की ओर से खुली दलील पर हो इस हाल में कि वह इमाम और रहमत है। महेदी मौऊद अले० से रिवायत है आप ने फ़रमाया कि यह वही इमाम है जिसके अपनी संतान से होने की इब्राहीम अले० ने दुआ फ़रमाई जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाता है *''और मेरे वंश से* इसका अर्थ यह है कि (इब्राहीम अले० ने दुआ की कि) मुझे और मेरी संतान में से इमाम बना। इस से मालूम हुवा कि महेदी अले० का ज़िकर गुज़श्ता अम्बिया की पुस्तकों में मौजूद है, जैसा कि इब्राहीम अले० की दुआ और काब अल-अहाबार के क़ौल से ज़ाहिर है। फिर कैसे महेदी अले० का ज़िकर क़ुरआन में न होगा, क्योंकि क़ुरआन में वह सब विषय मौजूद हैं जो पहले की किताबों में थे। अल्लाह तआला फ़रमाता है *''कोई हरी या सूखी चीज़ ऐसी नहीं है जो स्पषट किताब में (अंकित) नहो* (अल-अनआम - ५९)।

वे लोग तो इस पर ईमान लाते हैं। *ऊलाईका* (वे लोग) का संकेत महेदी मौऊद अले० की क़ौम की ओर है। यह बात *मन* के ज़िकर से मालूम होती है, जैसा कि *हुम* की ज़मीर (सर्वनाम) मूसा अले० के ज़िकर से मूसा अले० की क़ौम

की ओर लोटती है। अल्लाह तआला फ़रमाता है *और हमने मूसा को किताब प्रदान की थी ता कि वे लोग हिदायत (मार्ग) पा ले* (अल - मोमिनून् - ४९)। यानि ताकि मूसा अले० की क़ौम के लोग हिदायत पाऐं, यहाँ 'उस क़ौम' का ज़िकर नहीं हुवा था लेकिन मूसा अले० के ज़िकर से 'वे लोग' से मुराद मूसा अले० की क़ौम होना साबित है। इसी तरह *ऊलाइका* (वे लोग) से मुराद महेदी मौऊद अले० की क़ौम है जो महेदी पर ईमान लाई, जिसका शुभ नाम सैयद मुहम्मद बिन सैयद अब्दुल्लाह है। *और दूसरे गुरोहों में से जो कोई इसका इन्कार करे* यानि जो कोई इन्कार करे महेदी मौऊद अले० का इस हाल में कि वह अल्लाह तआला की दलील है, तो चाहे वह किसी गुरोह से हो, आलिम हो या ज़ाहिद, बादशाह हो या अमीर, चाहे किसी क़बीले से हो तो *उसके लिये (जहन्नम की) आग का वादा है,* यानि उसका ठिकाना दोज़ख़ है, जिस से वह कभी मुक्ति नहीं पाएगा। जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाता है *'हमारे रब। तूने जिसे आग में डाला निस्सन्देह उसे रुसवा कर दिया। और ज़लिमों का कोई सहायक नहीं होगा* (आले इमरान - १९२)।

तो तुझे इसके बारे में कोई संन्देह न हो। यानि ऐ मुहम्मद सल्ला० सन्देह न रखो, बल्कि विश्वास रखो कि उस (महेदी मौऊद अले०) का वजूद तुम्हारी उम्मत को हलाकत से बचाने के लिये क़ायम है। यह ख़िताब (संबोधन) नबी सल्ला० से हुवा है जो स्पष्ट है। इस से मुराद मुहम्मद सल्ला० और आपकी उम्मत है। इस ख़िताब के ज़रीए सुचित किया गया है कि तुम सब सन्देह में न रहो, निस्सन्देह उसका वजूद तुम्हारे रब की ओर से हक़ है, यानि यक़ीन करो कि महेदी मौऊद अले० की बेसत अल्लाह के पास साबित है और ईमान लाओ उस पर जिस समय वह तुम्हारी तरफ़ निकले, *लेकिन अधिकतर लोग ईमान नहीं लाऐंगे।* यानि महेदी अले० पर ईमान नहीं लाऐंगे, क्योंकि सुन्नते इलाहीय हर नबी के ज़माने में इसी तरह जारी हुवी है, जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाता है कम हैं जो ईमान लाते हैं और उनमें से अधिकतर लोग फ़ासिक़ (अवज्ञाकारी) हैं। इसी तरह अल्लाह तआला फ़रमाता है *''तो जब कोई रसूल तुम्हारे पास ऐसी बातों को लेकर आये जो तुम्हारे जी को न भा सके तो तुम उवज्ञाकारी हो जाते रहे,*

और एक गुरो को झुटलाते रहे और एक गुरोह की हत्या करते रहे (अल - बक़रह - ८७)। यहाँ भी ऐसा ही है और इस में एक लाभ दायक बात यह है कि लोगों का इन्कार ख़ुद महेदी अले० का समर्थन करने वाला है और महेदी अले० महेदियत के सुबूत की दलील है, क्योंकि लोगों का इन्कार आयत से साबित है। इसी तरह *'इक़दुद - दुरर'* में अबू अब्दुल्लाह हुसेन विन अली रज़ी० से रिवायत है कि आपने फ़रमाया कि अगर महेदा मब्ऊस होगा तो लोग उसका इन्कार करेंगे। ऐसाही इब्न अरबी ने *फ़ुतूहाते मक्कीयह* में लिखा है कि जब इमाम महेदी अले० निकलेंगे तो उनके खुले दुश्मन खासकर फ़ुक़हा होंगे,क्योंकि उनका महत्व और प्रभाव बाक़ी नहीं रहेगा।

दसवी आयत

قُل هٰذهِ سبیلی ادعوآ الی الله علی بصیرة انا ومن اتبعنی
(یوسف ۱۰۸)

कह दो ऐ मुहम्मद, मेरा मार्ग तो यह है कि मैं लोगों को अल्लाह की ओर बुलाता हूँ बसीरत पर, मैं भी बुलाता हूँ और वह जो मेरा ताबे है।

हज़रत महेदी मौऊद अले० से रिवायत है कि आपने फ़रमाया अल्लाह तआला ने मुझे हुक्म फ़रमाया है कि *''मनित - तबअनी''* (जो मेरा ताबे है) का *मन* (जो) खास है और उस से मुराद केवल तुम्हारी ज़ात है कोई दूसरा नहीं। मैं (लेखक) कहता हूँ कि हक़ (सत्य) वही है जो महेदी मौऊद अले० ने फ़रमाया, क्योंकि उस *मन* के ख़ास होने पर आयत के बयान में क़रीना मौजूद है, इस लिये कि उसका अत्फ़ (संयेजन) उस गुप्त सर्वनाम पर है जो *'अदऊ'* (मैं बुलाता हूँ) में है। इस आयत का अर्थ यह है कि ''में बुलाता हूँ अल्लाह की ओर बीनाई पर और वह भी बुलाएगा अल्लाह की ओर बीनाई पर जो मेरा ताबे है। इस अत्फ़ की आवश्यकता यह है कि ताबे (अनुयायी) और मत्बू (जिसका अनुसरण किया जाए) की दावत एक ही मर्तबे में हो, वर्ना दोनों दावतों में अंतर होजाएगा। जुमले (वाक्य) के अत्फ़ (संयोजन) में तुलना होना एक ऐसी चीज़ है जो विषय में उचित संयोग के लिये ज़रूरी है।

यह बात मालूम है कि नबी सल्ला० पर दाअवत (अल्लाह की ओर निमन्त्रण) फ़र्ज़ थी, तो उसी तरह आप के ताबे पर भी फ़र्ज़ होना चाहिये। वह ताबे जिस पर दाअवत फ़र्ज़ थी, तो वह महेदी अले० के सिवा किसी दूसरे पर नहीं होसकती, क्योंकि महेदी अले० की बेअसत का उद्देश्य वही है, जैसा कि नबी सल्ला० ने फ़रामाया ''कैसे हलाक होगी मेरी उम्मत मैं उसके पूर्व में हूँ, ईसा अले० उसके अंत में हैं और महेदी अले० मेरे वंश से उसके मध्य में हैं''। इस लिये

जैसा कि नबी सल्ला० और ईसा अले० अल्लाह की ओर बुलाने वाले हैं, उसी तरह महेदी अले० भी अल्लाह की ओर बुलाने वाले हैं। अल्लाह तआला का कौल *'मनित-तबअनी'* (जो मेरा ताबे है) मुत्लक़ (नितांत) है और इस से मुराद फ़र्द कामिल (संपूर्ण व्यक्ति) ही होता है जो अनुसरण में संपूर्ण होगा, और वह महेदी अले० ही होसकते हैं, क्योंकि महेदी अले० हमारे नबी सल्ला० की विलायत के ख़ातिम (पूर्ण कर्ता) हैं। इस बात में दलीले क़ाते (निश्चित तर्क) तो महेदी मौऊद अले० का क़ौल है जिस को स्वीकार करना हम पर बाजिब है, उनही दलाइल से जिन से अम्बिया अले० का क़ौल स्वीकार करना वाजिब है, जो अख़लाक़ की क़िसम से है, और अल्लाह सही चीज़ों का इल्हाम देने वाला है।

ग्यारहवीं आयत

ثُمّ اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالمُ لّنفسه
(فاطر ٣٢)

फिर हमने इस किताब का वारिस (उत्तराधिकारी) बना दिया उन लोगों को जिन्हें हमने अपने बन्दों में से चुन लिया। अब कोई उनमें से अपने - आप पर ज़ुल्म करने वाला है। (सूरह फ़ातिर - ३२)

हज़रत महेदी मौऊद अले० ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने मुझे हुकम दिया है कि वारिसीने किताब से मुराद केवल तुम्हारी क़ौम है, कोई दूसरा नहीं। मैं कहता हूँ हक वही है जो आप ने फ़रमाया, क्योंकि इस आयत से पहले की आयत के सियाक़ (प्रकरण) से इसका समर्थन होता है, और वह आयत यह है *''जो लोग अल्लाह की किताब पढ़ते हैं, और हाल यह है कि उन्हों ने नमाज़ क़ायम की है, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से छुपे और खुले ख़र्च करते हैं, वे ऐसे व्यापार की आशा रखते हैं जो कभी तबाह न होगा। ताकि अल्लाह उन्हें उनका बदला पूरा-पूरा दे और अपनी कृपा से उन्हें और बढ़ा कर दे। निस्सन्देह वह बड़ा क्षमाशील और क़द्र करने वाला (गुण - ग्राहक) है''।* (फ़ातिर - २९, ३०)

फिर फ़रमाता है कि जिन लोगों के संबंध में हमने तुम पर वही नाज़िल की है उनके गुण ऐसे - ऐसे हैं, निस्सन्देह अल्लाह अपने बन्दों की पूरी ख़बर रखने वाला और देखने वाला है।

अल्लाह तआला ने अपने हबीब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला० को सूचना दी है कि हमने किताब का वारिस बनाया यानि, क़ुरआन के मआना (अर्थ) का वारिस बनाया उन लोगों को जिन्हें हमने चुन लिया, अपने बन्दों में से ता कि वे क़ुरआन के मआनी, संकेत और रहस्य को स्पषट करें, ओर वह महेदी मौऊद अले० की क़ौम है। इस माना (अर्थ) की पुष्टि करता है वह क़ौल जो ''अवारिफ़''

में लिखा है कि इब्न मसऊद रज़ी० से रिवायत है कि'' नहीं है कोई आयत मगर उसके लिये एक क़ौम है जो जल्द ही उस आयत का अर्थ जानलेगी। 'ज़वारिफ़' के लेखक मौलाना अली पीरू ने लिखा है कि ''उस से यह समझा जाता है बाज़ मआनी जो सहाबा रज़ी० के दिल में नहीं गुज़रे थे, वह गुज़रेंगे बाज़ मशाइख़ीन ख़ुसूसन् अस्हाबे महेदी अले० के दिलों में। इस से मालूम हुवा कि सत्य वही है जो हज़रत महेदी अले० ने अल्लाह के आदेशानुसार फ़रमाया है, और यह अल्लाह तआला की ओर से हज़रत महेदी अले० ही का पद है, क्योंकि आप आलिमे रब्बानी हैं, और आप पर अल्लाह की किताब के वह असरार (भेद) मुन्कशिफ़ (व्यक्त) हैं कि नबी सल्ला० के बाद आपके सिवाया किसी पर मुन्कशिफ़ नहीं हुवे, और यही बात अहादीस और रिवायत से मालूम होती है।

किताब के वारिसीन तीन प्रकार के हैं। एक वह हैं जिन्हों ने अपने-आप पर ज़ुल्म किय, यानि वह लोग जो दुन्या, दुन्या का आनंद और तमाम संसारिक अवाश्यकताओं को छोड़कर मक़ामे मलकूत तक पहुंचे हुवे हैं और मलकूत की ख़बर रखते हैं, लेकिन उनके दिलों में दुन्यवी खतरों और नफ़सानी लज़्ज़तों का गुज़र भी होता है, और अपनी ज़ातों पर यह उनका ज़ुल्म है लेकिन वे उन ख़तरात में नहीं फ़ंसते। बाज़ उनमे से मुक़तसिद हैं यानि वे जुमला भलाइयों का इरादा रखते हैं, यहाँ तक कि वे अल्लाह की कृपा और उसकी हिदायत (अनुदेश) के फ़ैज़ से दुन्यवी ख़तरों और नफ़सानी लज़्ज़तों पर ग़ालिब आगये हैं और मक़ामे मलकूत से तरक़्क़ी करके मक़ामे जबरूत तक पहुंच गये हैं और उस से सुचित होचुके हैं और वे पस्ती की ओर कभी नहीं लौटते। उनमें से बाज़ *साबिख़ुन बिल - ख़ैरात* हैं, यानि वह लोग जो अल्लाह की मुहब्बत मे सबक़त रखने वाले (आगे बढ़ने वाले) हैं और अल्लाह की ज़ात में वासिल हैं और अल्लाह की ज़ात में उनको सैर हासिल है। अल्लाह के हुक्म से वे हर सांस में एक ऐसे मक़ाम पर तरक़्क़ी पाते हैं कि मुतकल्लिम (मीमांसक) की बुद्धि और सुन्ने वाले का ज़हन (प्रतिमा) उसको नहीं समझ सकता। यानि अल्लाह ने उनको अपने हुक्म से इस मक़ाम तक पहुंचाया। यह प्रदान अल्लाह की सब से बड़ी कृपा है।

बारहवीं आयत

وان تتولوا يستبدل قوماً غير كم ثمّ لا يكونو آ امثالكم
(محمد ٣٨)

और यदि तुम मुहँ मोड़ोगे तो अल्लाह तआला तुम्हारी जगह एक दूसरी क़ौम को लाएगा, फिर वे तुम्हारे जैसे न होंगे।

हज़रत महेदी मौऊद अले० से रिवायत है कि आपने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने मुझे हुक्म फ़रमाया है कि इस क़ौम से मुराद केवल तुम्हारी क़ौम है, कोई दूसरी नहीं। मैं (लेखक) कहता हूँ कि सत्य वही है जो आप ने फ़रमाया, क्योंकि पहली आयत का सियाक़े इबारत (प्रकरण) उसकी पुष्टि करता है। अल्लाह तआला ने अपने हबीब मुहम्मद सल्ला० को सूचना दी है कि मोमिनों से कहदो कि *''हे ईमान लाने वालो। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत (आज्ञा पालन) करों''।* यानि तुम ऐसा और ऐसा करोगे तो तुम्हें तुम्हारे किये का फल प्रदान करेगा, और तुमसे तुम्हारे सारे माल न माँगेग, यहाँ तक कि तुम पर दूभर हो जाय, बल्कि केवल थोड़ा ख़रच जो उश्र का चौथा भाग है। यदि तुम ऐसे आसान काम में भी बख़ालत (कदर्यता) करोगे तो जानलो कि अल्लाह तुम्हारे ख़रच करने से बेनियाज़ (निस्पृह) है और वह तुम्हारा मोहताज नहीं है, बल्कि तुम हर समय उसके मोहताज हो। इस कंजूसी के साथ यदि तुम उन तमाम विषयों से जिनका तुमको अल्लाह ने आदेश दिया है मुहँ मोड़लोगे तो तुम्हारी जगह अल्लाह एक दूसरी क़ौम को लायगा, और वह महेदी मौऊद अले० की क़ौम है, फिर वे तुम्हारे जैसे न होंगे यानि वह क़ौम वाले आज्ञा पालन, ख़र्च करने और ज़िकर किये गये तमाम आदेशों को पूरा करने में तुम्हारे जैसे न होंगे, बल्कि वे तमाम दीनी हालात में तुम से अच्छे होंगे, और सांसारिक कामों से बचेंगे, और अपने तमाम विषयों को हर हाल में अल्लाह तआला को समर्पित कर देंगे। इस

बात का समर्थन करती हैं हदीसें जो उनके संबधं में आइ हैं ओर जिनका ज़िकर तफ़सीर लुबाब वग़ैरह में आयत *''सुनो। अल्लाह के मित्रों (औलिया - अल्लाह) को नतो कोई भय होगा, और न व दुःखी होंगे''* (यूनुस-६२) के संबधं में किया गया है। इसका समर्थन, वह हदीस भी करती है जो 'तज़किरा-ए-क़र्तबी' में है कि नबी सल्ला० ने इन ही लोगों के हक़ में फ़रमाया है कि ''ईसा अले० ऐसी क़ौम को पायेंग जो तुम जैसी या तुमसे अच्छी होगी। इसी प्रकार रसूलुल्लाह सल्ला० ने तीन बार फ़रमाया है, और इस हदीस को इब्ने बर्जान ने अपनी पुस्तक ''अल-इरशाद' में सनद से बयान किया है।

तेरहवीं आयत

خلق الانسان ہ علّمه البيان (الرحمن ٣، ٤)

मनुष्य को पैदा किया। उसे बयान की शिक्षा दी।

हज़रत महेदी मौऊद अले० से रिवायत है कि आप ने फ़रमाया मुझे अल्लाह तआला ने आदेश दिया है कि मनुष्य से मुराद तेरी ज़ात है। मैं कहता हूँ कि सत्य वही है जो आप ने फ़रमाया, क्योंकि आयत का अर्थ उसका समर्थन करता है, यानि रहमान ने मुहम्मद सल्ला० को तनज़ील और तर्तीब (क्रमानुसार) के साथ क़ुरआन की शिक्षा दी, जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाता है *''और क़ुरआन पढ़ो ठहर - ठहर कर''* (७३:४) फिर फ़रमाता है *''फिर जब हम क़ुरआन पढ़ा करें तो तुम उसके पढ़ने का अनुसरण करो''* (७५:१८), यानि पढ़ो हमारे पढ़ने के बाद हमारी शिक्षा से। अल्लाह तआला फ़रमाता है *''पैदा किया मनुष्य को''* यानि महेदी अले० को, *''उसको बयान की शिक्षा दी''* यानि अल्लाह तआला ने महेदी अले० को क़ुरआन का बयान सिखाया, जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाता है *''फिर उसका बयान भी हमारे ज़िम्मे* है (७५:१९), यानि आख़िर ज़माने में महेदी मौऊद अले० की ज़बान से क़ुरआन का बयान कराना हमारे सिवा किसी का यह काम नहीं।

इस आयत *'फिर उसका बयान हमारे ज़िम्मे है'* का विस्तार पूर्वक स्पष्टी करण आगे किया जायगा। इन्शा अल्लाहु तआला।

चौदहवीं आयत

ثُلة من الاولين وقليلٌ من الاخرين (الواقعة ١٣، ١٤)

एक पूरा गुरोह अगले लोगों में से और थोड़े से पिछले लोगों में से।

हज़रत महेदी मौऊद अले० से रिवायत है कि आप ने फ़रमाया कि मुझे अल्लाह तआला का आदेश होता है कि अल्लाह तआला के क़ौल *''एक गुरोह है अगले लोगों में से''* तो इस से इस उम्मत के अगले लोग मुराद है, और वह नबी सल्ला० के अस्हाब और उनके ताबईन हैं, और अल्लाह तआला के क़ौल *''और थोड़े से पिछले लोगों में सें,* तो इस से इस उम्मत के पिछले लोग मुराद हैं और वह केवल तुम्हारी क़ौम है।

प्रन्द्रहवीं आयत

ثُلة من الاٰخرين (الواقعة ٤٠)

और एक पूरा गुरोह है पिझले लोगों में से।

हज़रत महेदी मौऊद अले० से रिवायत है कि आप ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने मुझे आदेश दिया है कि अल्लाह तआला के क़ौल *''एक गुरोह है पिछले लोगों में से''* से मुराद केवल तुम्हारी क़ौम है, और अल्लाह तआला के क़ौल *''एक गुरोह है अगले लोगों में से''* से मुराद नबी सल्ला०के अस्हाब और उनके ताबईन हैं।

सोलहवीं आयत

وآخرين منهم لمّا يلحقوا بهم (الجمعة ٣)

और उनमें से दूसरे लोगों के लिये भी उनको भेजा है जो अभी इन मुसलमानों से नहीं मिले।

इमाम महेदी मौऊद अले० से रिवायत है कि आप ने फ़रामाया अल्लाह तआला ने मुझे आदेश दिया है कि अल्लाह तआला के क़ौल *व आख़रीन मिन्हुम* (उन्में से दूसरे लोग) से मुराद केवल तुम्हारी क़ौम है, और *''रसूलम - मिन्हुम''* (उन्हीं में से एक रसूल) से मुराद तुम्हारी ज़ात है।

मैं कहता हूँ कि हक़ वही है जो महेदी मौऊद अले - ने फ़रमाया, क्यों कि आयत के बयान में यह अर्थ स्पष्ट है, इस लिये कि अल्लाह का क़ौल *''व आख़रीन मिन्हुम''* माअतूफ़ (संयोजन) है *'उम्मीयीन'* पर। अर्थ यह है कि वह ख़ुदा जिसने रसूल को उम्मीयीन में भेजा, वह रसूल मुहम्मद सल्ला० हैं, और *''आख़रीन''* में भेजा रसूल को वह रसूल महेदी मौऊद सल्ला० हैं। आयत *''जो अभी उनसे नहीं मिले''* प्रमाणित करती है कि वह आख़िर ज़माने में आने वाली क़ौम है, और वह मेहदी मौऊद अले० की क़ौम है, जैसा कि महेदी मौऊद अले० ने अल्लाह की मुराद बयान फ़रमाई है। इस का समर्थन करती है वह चीज़ जो आयत *''अफ़मन काना अला बय्यीनतिम् मिर रब्बिहि''* (सूरह हूद - १७) के संबधं में 'तफ़सीर दैलमी' में 'कश्फूल हक़ाइक़' के हवाले से ज़िकर की गयी है कि ''अगर कहा जाए कि क़ुरआन में महेदी अले० के नाम का ज़िकर स्पष्ट रूप से क्यों नहीं किया गया, क्योंकि अल्लाह तआला ने किसी चीज़ का ज़िकर क़ुरआन में नहीं छोड़ा तो किस तरह महेदी अले० का ज़िकर छोड़ दिया, तो कहा जायागा कि नबी सल्ला० की रिआयात (आदर) से महेदी अले० के नाम का ज़िकर नहीं है।

इस लिये कि महेदी अले० की दावत नबी सल्ला० की दावत के समान, महेदी अले० का ज्ञान नबी सल्ला० के ज्ञान के समान, महेदी अले० का गुरोह नबी सल्ला० के गुरोह के समान, महेदी अले०का हाल नबी सल्ला० के हाल के समान, महेदी की ज़ात नबी की ज़ात के समान, महेदी का सब्र नबी के सब्र के समान, महेदी का तवक्कूल नबी के तवक्कुल के समान और अकसर सूरत और सीरत में महेदी अले० नबी सल्ला० के बराबर है।

गो कि महेदी अले० के नाम का ज़िकर क़ुरआन में स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन महेदी अले० का ज़िकर क़ुरआन में ज़िमनन् और किनायतन् (किसी विष्य के अंतर्गत और संकेत के रूप में) मौजूद है, जैसा कि नबी सल्ला०का ज़िकर हर आदेशात्मक शब्द में पूरे क़ुरआन में आया है। जैसा कि अल्लाह तआला फ़र्माता है *''कह दो वह अल्लाह एक है* (अल - इख़लास), और इसी प्रकार की दूसरी आयतें हैं। महेदी अले० की प्रतिष्ठा जो अव्यक्त रूप में क़ुरआन में ज़िकर की गयी है उसका ज्ञान नबी सल्ला० को था। अल्लाह तआला का क़ौल *वआख़रीन* माअतूफ़ (संयोजन) है *उम्मीयीन* पर, यानि अल्लाह ने एक रसूल को भेजा उनमें के आख़रीन (दूसरे लोगों) में, जो उम्मीयीन से नहीं मिले। इस लिये आख़रीन में रसूल से मुराद महेदी अले० ही की ज़ात है। इस नक़ल से मालूम हुवा महेदी अले० का ज़िकर क़ुरआन में मौजूद है, और उसका ज्ञान नबी सल्ला० के ज्ञान में गुप्त रहा। जब महेदी अले० ज़ाहिर हुवे और अपने हक़ में और अपनी क़ौम के हक़ में जो कुछ क़ुरआन में ज़िकर है, अल्लाह के हुक्म से ज़ाहिर फ़र्माये तो उसको स्वीकर करने में कोई भिन्नता नहोगी, क्योंकि महेदी अले० का क़ौल (वचन) निश्चित तर्क है, इस लिये कि जो शख़्स उस मक़ाम पर पहुंचे वह अल्लाह पर झूट का आरोप नहीं गढ़ता।

यह बात हनफ़ी फ़िक़ह के नियम से समझी जाती है। महेदी अले० से रिवायत है कि आप ने अल्लाह तआला के इस क़ौल को पेश फ़र्माया *''फिर उस व्यक्ति से बढ़ कर ज़ालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूट बांधा। और सच्चाई*

को झुटला दिया जबकि वह उसके पास आई (अज़-ज़ुमर-३२)। यह आयत इस बात का प्रमाण है कि महेदी मौऊद अले० के अस्हाब उम्मी (अशिक्षित) होंगे, जैसा कि नबी सल्ला० के अस्हाब उम्मी थे, ताकि उनको किताब और हिकमत सिखाना और उनको जहालत की मलिनता से पाक करना रिसालत और हिदायत की सेहत (सत्यता) की दलील होसके। पस ख़ूब समझ लो कि यह बात ज़ाहिर है।

सत्रहवीं आयत

ثُمّ انّ علینا بیانه (القیامة ۱۹)

अल्लाह तआला फ़र्माता है *फिर उस (क़ुरआन) का बयान वास्तव में हमारे ज़िम्मे* है (सुरह अल-क़ियामह - १९)

इमाम महेदी मौऊद अले० ने अल्लाह के आदेशानुसार फ़र्माया कि वास्तव में उसका बयान हमारे ज़िम्मे है, यानि महेदी मौऊद अले० की ज़बान से और वह तुम्हारी ज़ात है, यानि हमने तुम पर लाज़िम कर दिया है उस (क़ुरआन) का बयान अपनी शिक्षा से।

मैं (लेखक) कहता हूँ कि सत्य वही है जो आप ने फ़र्माया, क्योंकि इस से पहले की आयत से यही अर्थ निकलता है। अल्लाह तआला फ़र्माता है *''तुम उसके पढ़ने पर अपनी ज़बान न हिलाओ ताकि तुम उसे जल्द सीखलो।* यानि क़ुरआन को याद करने में जल्दी करने से अपनी ज़बान को सुरक्षित रखो। *हमारे जिम्मे हे उसे जमा (एकत्र) करना और उसे पढ़ देना।* यानि हमारे ज़िम्मे है क़ुरआन का जमा करना और उसका पढ़ना, हमारे सिवा किसी दूसरे पर नहीं। *फिर जब हम उसे पढ़ें तो उसके पढ़ने का अनुसरण करो।* यानि हमारे पढ़ने के बाद पढ़ो, यानि तुम पर क़ुरआन को हमारी शिक्षा से ठहर - ठहर कर पढ़ना लाज़िम किया है, जैसा कि अल्लाह तआला फ़र्माता है *और क़ुरआन को ठहर - ठहर कर पढ़ो* (७३:४)। फिर हमारे ज़िम्मे है उस का बयान करना, जो शब्द के सर्वनाम में है, यानि आख़िर ज़माने में महेदी मौऊद अले० की ज़बान से क़ुरआन के मआनी हम बयान करेंगे।

अगर कहा जाए कि यह क़ौल कैसे सही होसकता है कि क़ुरआन की तन्ज़ील (उतरना) नबी सल्ला० के साथ ख़ास है और बयान की तन्ज़ील महेदी मौऊद अले० के साथ ख़ास है, तो कहा जाता है कि यह बात सब को मालूम है

कि अल्लाह तआला ने क़ुरआन को अपने हबीब सल्ला० पर तेईस (२३) वर्ष में थोड़ा-थोड़ा करके आवश्यक्तानुसार नाज़िल फ़र्माया, और उसके जमा करने और पढ़ने और उसके मआनी बयान करने को स्वयम अपनी ओर संबंधित किया, जैसा कि अल्लाह तआला फ़र्माता है *'वास्तव में उसका जमा करना और उसका पढ़ना हमारे ज़िम्मे है'*, और अल्लाह तआला यह भी फ़र्माता है कि *'वास्तव में उसका बयान करना हमारे ज़िम्मे है'।* नबी सल्ला० के बाद अल्लाह तआला ने क़ुरआन को हज़रत उसमान बिन अफ़्फ़ान रज़ी० के द्वारा जमा किया, और यह बात सब को मालूम है, इसी प्रकार क़ारियों से क़ुरआन पढ़ाया, यह भी सब को मालूम है, इसी प्रकार क़ुरआन का बयान महेदी मौऊद अले० के द्वारा हुवा। अल्लाह अपनी मुराद को अच्छी तरह जानता है, क्योंकि वही करता है जो वह चाहता है, और अल्लाह बलवान् है अपने विषय में *लेकिन अधिकतम लोग नहीं जानते* (४५:२६)। *वह जो कुछ करता है उस पर वह पूछा न जाएगा* और उनसे पूछ होगी (२१:२३)।

इस से मालूम हुवा कि अल्लाह तआला ने पवित्र पुस्तक इसी अनुक्रमानुसार स्थापित किया यहांतक कि उसके माना (अर्थ) को महेदी मौऊद अले० पर समाप्त किया, क्योंकि महेदी मौऊद अले० ख़ातिमे विलायते मुहम्मदियह हैं और अल्लाह की पुस्तक के रहस्य के विद्यावान् हैं, और क़ुरआन के मआनी का बयान आप ही का पद है। अब्दुरज़्ज़ाक़ काशानी ने अपनी तफ़सीर 'तावीलातुल् - क़ुरआन' में कहा है कि चूंकि *अलिफ़ लाम मीम* को क़सम (सौगंध) और उसके जवाब को महज़ूफ़ (छिपा हुआ) क़रार दिया है तो वह महज़ूफ़ जवाब यह है कि निस्संदेह मैं बयान करने वाला हूँ उस किताब (क़ुरआन) को जिसका वादा अम्बिया अले० की ज़बानों पर किया गया है। उनकी पुस्तकों में यह है कि क़ुरआन आख़री ज़माने में महेदी अले० के साथ होगा, और क़ुरआन के बयान को जैसा कि उस को जान्ने का हक़ है, महेदी अले० के सिवा कोई नहीं जानेगा, जैसा कि ईसा अले० ने फ़र्माया कि हम तुम्हारे पास तन्ज़ील (शब्द) लाते है और रही तावील (स्पष्टिकरण) वह अंतिम काल में फ़ारक़लीत लाएगा। ईसा अले० ने जिस

फ़ारक़लीत का ज़िकर किया है उससे शेख़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने मुहम्मद महेदी अले० मुराद ली है। गो कि दूसरों ने नबी करीम मुहम्मद सल्ला० मुराद ली है, लेकिन सत्य वही है जो शेख़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने कहा है, क्योंकि ईसा अले० का वचन कि हम तन्ज़ील को लाते हैं, इसमें आदम अले० से हमारे नबी सल्ला० तक वह तमाम अम्बिया अले० शामिल हैं जिनपर किताबें और सहीफ़े नाज़िल हुवे। नबी सल्ला० का वचन है कि हम अम्बिया का गुरोह हैं, न हम किसी के वारिस होते हैं और न कोई हमारा वारिस होता है, इसमें तमाम अम्बिया अले० शामिल हैं। इस से मालूम हुवा कि तमाम अम्बिया अले० का अधिकार यह हे कि तन्ज़ील को लाऐं और महेदी मौऊद अले० का अधिकार यह है कि तावील को लाऐं। यह बात उस पद के कारण है जो अल्लाह तआला से महेदी मौऊद अले० को मिला है। इस लिये अल्लाह तआला फ़र्माता है कि *''फिर क़ुरआन का बयान हमारे ज़िम्मे है* यानि महेदी मौऊद अले० की ज़बान से अंतिम काल में। क़ुरआन के बयान को जैसा कि उसको जान्ने का हक़ है कोई नहीं जानेगा मगर महेदा (जानेगा), और महेदी मौऊद अले० के तमाम अस्हाब का यही एतक़ाद है।

अठारहवीं आयत

وما تفرّق الذين اُوتوا الكتاب الّا من بعد ماجاء تهم البينة

अल्लाह तआला फ़र्माता है और जिन लोगों को किताब दी गई थी उन्में जो फूट पड़ी है वह उनके पास स्पष्ट प्रमाण आ जाने के बाद ही पड़ी है।

हज़रत महेदी मौऊद अले० से रिवायत है कि आप ने फ़र्माया कि अल्लाह तआला ने मुझे आदेश दिया है कि जिन लोगों को किताब दी गई से मुराद तेरे ज़माने के उलमा हैं और *बय्यिनह* (स्पष्ट प्रमाण) से मुराद महैदी मौऊद अले० है और वह तेरी ज़ात है। मैं (लेखक) कहता हूँ कि सत्य वही है जो महेदी मौऊद अले० ने फ़र्माया है, क्योंकि सियाक़े आयात (प्रसंग) इसी अर्थ को प्रमाणित करता है, यानि अल्लाह तआला ने अपने हबीब मुहम्मद सल्ला० को सूचना दी है कि तुम्हारी उम्मत के उलमा अपनी रूची अनुसार किताब के अहकाम और शरीअतों (البينة ٦) के बयान से बय्यिनह यानि महेदी मौऊद अले० आने के बाद विभिन्न होगये, क्योंकि महेदी अले० ने किताब (क़ुरआन) के अहकाम (निर्देश) और शरीअतों का बयान उनके सामने उतना ही किया जितना अल्लाह ने उसको बयान करने का आदेश दिया। महेदी अले० इज्तिहादी इख़्तलाफ़ के ताबे नहीं बल्कि उनके मतभेद में फैसला करने का अधिकार रखते हैं। हदिस में महेदी अले० के विषय में आया है कि ''अल्लाह उस (महेदी) पर दीन को ख़त्म (पूर्ण) करेगा जैसा कि उस को हम से शुरूअ (आरंभ) किया''। इस हदीस को हाफ़िज़ों की एक जमाअत ने अपनी पुस्तकों में सनद से बयान किया है, जिन में अबुल - क़ासिम तब्रानी, अबू नईम अस्फ़हानी, अब्दुर - रहमान बिन हातिम और अब्दुल्लाह नईम बिन हम्माद वग़ैरह हैं।

जब महेदी अले० ने अक़ाइद और आमाल में उनके विचार के विरूद्ध हुक्म फ़र्माया तो उन्होंने बहुत विरोध किया और शत्रुता की, जैसा कि अहले

किताब में के कुफ़्फ़ार मुहम्मद सल्ला० का विरोध करते थे। उन काफ़िरों की आदत हर जमाने में हर बय्यिनह (ख़ुदा का ख़लीफ़ा) मबऊस होने के समय ऐसी ही रही, जैसा कि पवित्र क़ुरआन में है कि *''इसमें विभेद उन्ही लोगों ने किया जिन्हें वह किताब दी गई थी, इसके बाद कि खुली निशानियाँ उनके पास आ चुकी थीं, परस्पर ज़्यादती करने के लिये ऐसा किया।* (अल-बक़रह-२१३)। अल्लाह तआला ने उनको हर पुस्तक यानि तौरात, इन्जील, ज़बूर और फ़ुरक़ान में इस *बात का हुक्म दिया कि वह अल्लाह की इबादत करें, दीन को उसी के लिये ख़ासिल करके, यकसू (एकाग्रचित) होकर, और नमाज़ क़ायम करें, ओर ज़कात दिया करें, और यही सच्चा दीन है* (अल-बय्यिनह - ५)।

इस (आयत) में इस बात पर दलील है कि *बय्यिनह* यानि महेदी मौऊद अले० लोगों को इसी सच्चे दीन की ओर बुलाऐंगे, और वह है अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह से इख़लास (निः स्वार्थता) रखना, नमाज़ क़ाइम करना और ज़कात देना। पस वह महेदी मौऊद अले० हक़ के बय्यिनह (स्पष्ट प्रमाण) हैं और सच्चाई पर बुलाने वाले हैं। जिसने इस *बय्यिनह* (महेदी मौऊद अले०) की दावत (अल्लाह की ओर आने का निमंत्रण) स्वीकार नहीं किया तो वह काफ़िरों में से है। अल्लाह ने उनके हाल (दशा) की सूचना इस प्रकार दी हैं *निस्सन्देह जिन लोगों ने कुफ़्र किया है (बय्यिनह यानि महेदी मौऊद अले० से) किताब वालों और मुश्रिकीन में से वे जहन्नम की आग में होंगे जहाँ वे हमेशा रहेंगे* (अल-बय्यिनह - ६)। इस फ़र्मान का समर्थन अल्लाह तआला का यह वचन भी करता है *और गुरोहों में से जो कोई इस (महेदी) का इन्कार करे तो उसके लिये जिस जगह का बादा है वह (जहन्नम की) आग है* (हूद - १७)। *यह लोग बदतरीन ख़लाइक़ (प्राणी) हैं* (९८:६)। यानि वे अल्लाह की मख़लूक़ (प्राणी वर्ग) में वदतरीन हैं और वही लोग काफ़िर हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनको चौपायों (चतुष्यदा जंतु) के समान फ़र्माया है बल्कि उनसे भी बुरे, और वही लोग ग़ाफ़िल हैं इस लिये कि वह लोग *बय्यिनह* की दावत को नहीं सुनते और उसका इन्कार करते हैं। *निस्सन्देह जो लोग ईमान लाए और अनुकूल कर्म किये वही उत्तम प्राणी हैं* (९८:७)। यानि जो

लोग सच्चे दीन पर ईमान लाए और बय्यिनह के अनुकूल नेक अमल किये वही बेहतरीन ख़लाइक़ हैं।

इस आयत में इस बात पर दलील है कि जो व्यक्ति बय्यिनह यानि महेदी मौऊद अले० की अनुकूलता करेगा सच्चे दीन के साथ, तो वह अल्लाह की मख़्लूक़ से बेहतर (उत्तम) है *'उनका बदला उनके रब के पास सदा-बहार बाग़ हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें व सदैव रहेंगे।* यह सीमित दान है। *अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वे उससे राज़ी हुवे।* यह रज़ामन्दी (सहमति) असीमित है, जिसका शुमार नही. कर सकते। जन्नत और अल्लाह तआला की सहमति और प्रसन्नता *'यह उसके लिये है जो अपने रब से डरता है'* (अल - बय्यिनह-८)। यानि उस शख़्य के लिये है जो अपने रब के बय्यिनह (स्पष्ट प्रमाण) महेदी मौऊद अले० पर किसी सवाला-जवाब के बग़ैर ईमान लाया, जैसा कि नबी सल्ला० और महेदी अले० के सारे अस्हाब रजी० ने कोई प्रमाण मांगे बिना उनपर ईमान लाए। इस लिये अल्लाह ने उनकी प्रशंसा की है कि वे ग़ैब पर ईमान लाते हैं।

अल्लाह तआला की कृपा और सहायता से साहेबुज़्ज़माँ महेदी अले० के नुक़ूल (वर्णन) वाज़ेह बयान के साथ (स्पष्टता) प्रस्तुत कर दिये गये हैं। आप से अनुरोध है कि यह उपहार महदवियों को पहुंचाऐं। साफ़ बातिन रखने वालों से अनुरोध है कि यदि इसमें कोई सहव या ख़ता पाऐं तो संशोधित करदें। अल्लाह तआला से दुआ है कि इसके द्वारा मुझे अपनी मुहब्बत रखने वालों में दाखिल करे, और जिस बात में उसकी प्रसन्नता है वह प्रदान करे, वरना कुछ प्राप्त न हो तो लज्जा के कारण सर न अठ सकूंगा। पढ़ने वालों से प्रत्याशा है कि अपनी प्रसन्नता के समय दुआए फ़ातिहा से इस फ़क़ीर को याद करें।

टिप्पणि

१) **अबू नुऐम् अस्फ़हानी :** हाफ़िज अबू नुऐम अहमद इब्न अब्दुल्लाह अस्फ़हानी - महान् मुहद्दिस ''हिल्यतुल - औलिया'' और 'तरीख़े अस्फ़हान' के लेखक - जन्म ३३६ हिज्री-९४८, मृत्यु ४३० हिज्री-१०३८

२) **अबू अब्दुल्लाह नईम बिन हम्माद :** ख़ुरासान् का शहर मर्व उनका वतन था लेकिन मिसर में चालीस साल रहे। हदीस जमा करने के लिये इराक़ और हिजाज़ का सफ़र किया। हदीस के साथ फ़िक़ह और इल्मे फ़राइज़ में भी माहिर थे। सुन्नत पर अमल करने में बहुत सख़्त थे। ख़ल्क़े क़ुरआन के अक़ीदे से इन्कार करने पर जेल में डाल दिया गया था। मृत्यु २२८ हिज्री।

३) **अब्दुर - रज़्ज़ाक़ काशानी :** काशान ईरान का एक शहर है। तफ़सीर तावीतातुल - क़ुरआन, शई फ़ुसूसुल - हिकम, शई मनाज़िलुस - साइरीन और इस्तलाहातुस् - सूफ़िया उनकी प्रसिद्ध किताबे हैं। मृत्यु - ७३० हिज्री - १३२९

४) **अबुल क़ासिम तब्रानी :** उबुला क़ासिम सुलेमान बिन अहमद तब्रानी, अपने समय के महान् मुहद्दिस - आप के तीन मआजिम मश्हूर हैं। आयु सौ साल, मृत्यु - ३६० हिज्री - ९७० ईसवी।

५) **इब्न अब्बास रज़ी० :** हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बिन अब्दुल मुतलिब बिन हाशिम - नबी करीम सल्ला० के चचा-ज़ाद भाई। बचपन ही से रसूले करीम सल्ला० के साथ रहे। महान बिद्यावान, मुफ़स्सिर, मुज्तहिद। मृत्यु ६८ हिज्री।

६) **इब्न मसऊद रज़ी० :** अबू अब्दुर - रहमान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद - सहाबी, क़तई जन्नती दस सहाबा में शामिल - रसूलुल्लाह सल्ला) के बाद

पहले व्यक्ति जिन्हों ने क़ुरआन ऊंची आवाज़ मे पढ़कर क़ुरेशा को सुनाया। बदर के युद्ध में अबू जहल को क़तल किया। मदीना मुनव्वरा में ३२ हिज्री। - ६५२ ईसवी में मृत्यु।

७) **तिरमिज़ी :** अबू ईसा मुहम्मद, हाफ़िज़, जन्म २०९ हिज्री - मृत्यु २७९। उनकी पुस्तक जामे अल - तिर मिज़ी हदीस की छः प्रमाणिक पुस्तकों में शामिल है।

८) **मुज़फ़्फ़र शाह :** मुज़फ़्फ़र शाह सानी सुलतान महमूद शाह बेगड़ा का पुत्र था। जन्म ८७५ हिज्री १४७० ईसवी। ९१७ १५११ में गुजरात का शासक बना। मृत्यु ९३२ १५२६ सरखेच। इसी के शासन-काल में हज़रत बन्दगी मियाँ सय्यद ख़ुंदमीर रज़ी० की शहादत हुवी।

९) **तफ़सीर मआलिमुत् - तन्ज़ील :** लेखक अबू मुहम्मद हुसेन बिन मस्ऊद अल - फ़र्रा बग़वी। शाफ़ई मस्लक के मुफ़स्सिर, मुहद्दिस और फ़क़ीह। इस तफ़सीर में सहाबा रज़ी०, ताबईन और तबा - ताबईन के अक़्वाल जमा किये गये हैं। हदीस में मसाबीह और जामेअ बैनल - सहीहैन भी लिखी हैं। मृत्यु ५१६-११२२, मर्व, ख़ुरासान्।

१०) **तफ़सीर बहरे मव्वाज :** लेखक क़ाज़ी शहाबुद्दीन बिन शमसुद्दीन उमर दौलताबादी - जन्म दौलताबाद दककन। देहली में क़ाज़ी अब्दुल मुक़्तदिर और मौलाना ख़ाजगी नहवी से शिक्षा पाई जो हज़रत सैयद मुहम्मद गेसूदराज़ रह० के भी शिक्षक थे। देहली पर तैमूर के आक्रमण के कारण मौलाना ख़ाजगी के साथ कालपी और वहाँ से जोनपूर चले गये। तफ़सीर बहरे मव्वाज में हदीस, कलाम, फ़िक़्ह, अदब, हिकम, इर्फ़ान हैं। जोनपूर के शासक सुलतान हब्राहीम शरक़ी ने 'मलिकुल - उलमा' का खिताब दिया। दूसरी पुस्तक मनाक़िबुस् - सादात है। मृत्यु - ८४२ १४३७।

११) **तफ़सीर नेसापूरी :** तफ़सीर का नाम - ग़राइबुल - क़ुरआन व रग़ाइबुल फ़ुरक़ान, लेखक, निज़ामुद्दीन हसन बिन मुहम्मद ख़ुरासानी नेसापूरी। इमाम राज़ी की तफ़सीर कबीर और ज़मख़शरी की कशषाक़ से ग्रहण किया। कहते है ७३० हिज्री में यह तफ़सीर लिखी।

१२) **तफ़सीर लुबाबुत् - तावील :** अलाउद्दीन अबुल हसन अली बिन मुहम्मद बिन इब्राहीम की लिखी हुवी तफ़सीर है। आप ख़ाज़िन के नाम से प्रसिद्ध थे क्योंकि दमिश्क़ के पुस्तकालय के अध्यक्ष थे। इसको 'तफ़सीरे ख़ाज़िन' भी कहते हैं। जन्म ६७८ हिज्री १२८० बग़दाद, मृत्यु ७४१ हि १३४१ ई।

१३) **फ़ुतूहाते मक्कियह :** लेखक शेख़ मुहियुद्दीन अबू बक्र मुहम्मद बिन अली अत - ताई, अल-हातमी अल-अन्दलूसी, इब्ने अरबी के नाम से प्रसिद्ध हैं। जन्म १७ रमज़ान ५६० हिज्री - २८ जूलई ११६५। ५९८ में मक्का मुकर्रमा आगए और फ़ुतूहाते मक्कियह की रचना शुरूअ की और ६३५ में समाप्त की फ़ुतूहात के आठ पुस्तक है उनमें ५६० अध्याय हैं। उनकी रजित पुस्तकों की संख्य ३०० से अधिक है। 'फ़ुसूसुल - हिकम्' उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है और एक तफ़सीर भी उन्होंने लिखी थी। मृत्यु २२ रबीउल - आख़र ६३८ १२४० दमिश्क़।

१४) **काब अल - अहबार :** अबू इस्हाक़ काब बिन मानेअ हुमैरी। हज़रत उमर रज़ी० के ज़माने में इस्लाम क़बूल किया। महान विद्यावान थे, हज़रत मआवियह, अबूहुरेरा, इब्न अब्बास, अता बिन अबी रिबाह रज़ी० ने उनसे हदीसें रिवायत की हैं। इमाम मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी। और निसाई ने काब से रिवायत की है। तफ़सीरों में भी उनके अक़्वाल मिलते हैं। मृत्यु ३२ हि - ६५२ ई।